खण्ड–5, अंक–2
मंगलवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1923
(19 मार्च, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2002)

(खण्ड 5 में 5 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

मूल्य :

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति		क
नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना उठाने का प्रयास	...	1–2
प्रश्नोत्तर	...	3–12
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	...	12–22
उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001 (अधिनियमित होने की की घोषणा)	...	22
उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	22
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	22
उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 (अधिनियमित होने की घोषणा)	...	23
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	23
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	...	24–28
वित्तीय वर्ष 2001–2002 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत)	...	29
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	...	29–33
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण	...	33
महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (जारी)	...	33–41
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	41
नत्थियां	...	42–59

उपस्थिति

निम्नांकित सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–श्री मालचन्द्र
2–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
3–श्री प्रीतम सिंह पंवार
4–श्री फूल सिंह बिष्ट
5–श्री किशोर उपाध्याय
6–श्री बलवीरसिंह नेगी
7–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
8–श्री सुबोध उनियाल
9–श्री कौलदास
10–श्री प्रीतम सिंह
11–श्री नव प्रभात
12–श्री साधूराम
13–श्री दिनेश अग्रवाल
14–श्री हरबंस कपूर
15–श्री हीरासिंह बिष्ट
16–श्री ज़ोत सिंह
17–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
18–श्री चन्द्र शेखर
19–श्री सुरेश चन्द
20–श्री चौ0 यशवीरसिंह
21–काजी निजामुद्दीन
22–श्री हरिदास
23–कुंवर प्रणवसिंह "चैम्पियन"
24–श्री शहजाद
25–श्री मदन कौशिक
26–श्री तसलीम अहमद
27–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
28–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
29–श्री तेजपाल सिंह रावत
30–श्रीमती अमृता रावत
31–डा0 हरक सिंह रावत
32–श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
33–श्री सुन्दरलाल मन्द्रवाल
34–श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
35–श्री मातबर सिंह कण्डारी
36–श्रीमती आशा देवी
37–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
38–श्री महेन्द्र भट्ट
39–श्री अनिल नौटियाल
40–श्री गोविन्द लाल
41–श्री भगतसिंह कोश्यारी
42–श्री उम्मेदसिंह मांजिला
43–श्री रामप्रसाद टम्टा
44–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
45–डा0 प्रताप सिंह बिष्ट
46–श्री रणजीत सिंह
47–श्री अजय भट्ट
48–श्री प्रदीप टम्टा
49–श्री कैलाश शर्मा
50–श्री गोविन्दसिंह कुंजवाल
51–श्री हरीशचन्द्र दुर्गापाल
52–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
53–श्री नारायणसिंह जन्तवाल
54–श्री योगम्बर सिंह रावत
55–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
56–श्री हरभजन सिंह चीमा
57–श्री अरविन्द पाण्डे
58–श्री प्रेमानन्द महाजन
59–श्री तिलकराज बेहड़
60–श्री नारायण पाल
61–श्री गोपालसिंह
62–श्री हेमेश खर्कवाल
63–महेन्द्रसिंह माहरा (मद्दू भाई)
64–श्री प्रकाश पन्त
65–श्री नारायण राम आर्य
66–श्री बिशन सिंह चुफाल
67–श्री काशी सिंह ऐरी
68–श्री गगन सिंह

मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आज मैंने कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में नियम–311 की सूचना दी है, कृपया उस पर चर्चा करा लें। लूट, राहजनी और पुलिस वालों की लगातार हत्याएं हो रही है। मेरा अनुरोध है कि प्रश्न काल को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह नियम–311 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। कृपया प्रश्न काल को स्थगित करके इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र किया गया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात अलग है। वर्तमान में प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। मेरा आपसे निवेदन है कि नियमों को शिथिल करके इस पर चर्चा करा दें। मान्यवर, अब तो स्थिति यह हो गई है कि अखबारों के दफ्तरों पर भी हमले होने लगे हैं। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल विपक्ष का होता है। पहले उसे होना चाहिए।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री ("डा0" श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, प्रश्न काल तो विपक्ष का ही होता है और विपक्ष उसे ही स्थगित कराना चाहता है, तो नियमों के अन्तर्गत सूचना दे दें। आपकी सूचना में 3–4 घटनाओं का जिक्र है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पिछली विधान सभा में हम लोग विपक्ष में थे और एक दिन भी हमने प्रश्न काल स्थगित करने की नहीं की थी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं और संसदीय कार्य मंत्री बीच में बोल रही है। आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैने पहले ही कह दिया है कि यह नियम–311 में नहीं आता है। (घोर व्यवधान)

(तत्पश्चात् श्री प्रकाश पंत, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री कैलाश शर्मा, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल आदि माननीय सदस्य वेल में आ गये)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी की अध्यक्षता में हम 14 माह तक प्रतिपक्ष में बैठे, लेकिन हमने कभी प्रश्न काल स्थगित करने की मांग नहीं की।

(घोर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कंडारी, श्री सुरेश चन्द जैन, श्री अजय भट्ट, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री कैलाश शर्मा, श्री महेन्द्र भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थवाल आदि माननीय सदस्यों के वेल में एक साथ खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप अपनी बात कह सकते हैं।

(श्री नारायण पाल भी वैल में आ गये। भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य वैल में खड़े होकर कहने लगे कि जब से यह सरकार आयी है प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी है, विचारों की अभिव्यक्ति पर कुठाराघात हो रहा है।

(घोर व्यवधान)

(भाजपा, बसपा के कई माननीय सदस्यों के वेल में आ जाने से घोर व्यवधान)

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या सम्पूर्ण प्रतिपक्ष प्रश्नकाल को स्थगित करने के पक्ष में है।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न काल के बाद सुन लूंगा, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात कहें मगर सीट से कहें।

*राजस्व एवं दैवीय आपदा प्रबन्धन मंत्री डा0 (हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भी अपवाद स्वरुप नियमों को स्थगित किया गया है, एक–दो बार परन्तु ऐसी कोई परम्परा नहीं है और पिछली विधान सभा में भी कभी भी ऐसी परिस्थितयां नहीं उत्पन्न हुई।

(कई विपक्षी माननीय सदस्यों के वेल पर खड़े होकर लगातार अपनी बात एक साथ कहने पर–घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–.

मैं सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

उत्तरांचल में ऊर्जा निगमों का गठन

*1–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में ऊर्जा निगमों का गठन हो चुका है?

यदि हां, तो किस–किस नाम से तथा कब?

क्या उत्तरांचल क्षेत्र में विद्यमान जल विद्युत परियोजनाओं पर उत्तरांचल का पूर्ण स्वामित्व है तथा परिसम्पत्तियों का बंटवारा हो चुका है?

यदि हां तो कब?

यदि नहीं तो क्यो नहीं?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी हां।

दिनांक : 12–2–01 को कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित कार्य के लिए उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 तथा पारेषण एवं वितरण के लिए उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 का पंजीकरण कराया गया।

जी हां।

भारत सरकार के आदेश दिनांक–5–11–2001 द्वारा बंटवारा हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या दोनों निगमों का गठन हो चुका है तथा अपना कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ कर दिया है।

औद्योगिक विकास एवं राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

जी हां।

*श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल सरकार को बंटवारे में क्या–क्या परिसम्पत्तियां मिली हैं?

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, परिसम्पत्तियों का मतलब विद्युत परियोजनाओं से है। जो हैं : खटीमा, राम नगर, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हान, खुदरों, मनेरी भाली, मोहम्मदपुर आदि।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऊर्जा निगम में किस तारीख से कार्य करना प्रारम्भ किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, प्रथम तो मैं श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जिन्होंने मुख्य प्रश्न पूछा, विधान सभा की कार्यवाही के पहले दिन ही उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जहां तक माननीय सदस्य, रानीखेत का प्रश्न है; मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहली अप्रैल, 2001 को उत्तरांचल कारपोरेशन का गठन होते ही इसमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि दो कारपोरेशन बने हैं। हमारे नेता प्रति पक्ष भी बैठे हैं, जो पूर्व में सिंचाई मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे उनको जानकारी होगी। मैं यह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वह जो कारपोरेशन बने हैं, उसका बंटवारा हो गया हैं। एक लाईन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पढ़कर सुनाई थी कि इन परियोजनाओं का स्वामित्व उत्तरांचल सरकार को मिल चुका है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि यह जो परिसम्पत्तियां आपको मिली हैं, वह किस शर्त के तहत आपको स्थानान्तरित हुई है।

मान्यवर, दूसरा यह जानना चाहूँगा कि कुछ परियोजनायें जो हमारे प्रदेश में अभी निर्माणाधीन है, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके बारे में जिनका एग्रीमेण्ट हमारा उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहते हुए हो गया था, उनके बारे में हमारी सरकार ने क्या सोचा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं सम्मानित नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के प्रश्न को देखते हुए यह आश्वस्त करना चाहुँगा कि ऐसी परियोजनायें जिनका पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक विधि रूप से जो एग्रीमेण्ट हुआ था उसमें संशोधन आपसी बात–चीत से तय होना है, उसके लिए पिछले शासन ने भी प्रयास किया था। चूंकि इसमें केन्द्र से और उत्तर प्रदेश शासन से परामर्श करना आवश्यक है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश शासन तथा केन्द्र दोनों से जितनी शीघ्रतापूर्वक प्रभावकारी प्रयास हो सकता है वह हमारी सरकार करेगी। टनकपुर विद्युत गृह जो केन्द्र का था, 12 प्रतिशत बिजली उत्तरांचल को प्राप्त हो रही है। आगे क्या फार्मूला बनता है यह अभी देखना है।

मान्यवर, मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसी आने वाली 24 तारीख को विधान सभा से जैसे ही मुझे थोड़ा समय मिलता है, मैंने आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश में मा0 राज्यपाल जी से, क्योंकि इस समय राष्ट्रपति शासन चल रहा है इसलिए मा0 राज्यपाल जी से मिलने का समय मांगा, मुझे आशा है कि मुझे समय मिलेगा और फिर प्राथमिकी बात–चीत में अपनी ओर से जो जरूरी होगा उसे हम करें। विभागीय अधिकारियों और दूसरे स्तरों पर भी बात–चीत होगी। फिर दिल्ली जाकर इस संबंध में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, प्रधानमंत्री जी से बात–चीत करने की आवश्यकता हुई तो वह भी किया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि वह हमारी भावनाओं को समझ गए हैं। जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ कि पूर्व सरकार ने जो कुछ किया है, हम भी उसी तरह उसको परश्यू करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि हमारे हितों का संरक्षण करते हुए जो मैंने एग्रीमेन्ट की बात पूछी है उसका खुलासा आप नहीं कर रहें हैं। यह स्पष्ट है कि आप हमारी भावना समझ गए हैं। मेरा सुझाव है कि आप जो हैं हमारे पक्ष में जैसे अभी आपने 12 प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलता है, उसमें मेरी जानकारी में उत्तर–प्रदेश, भी ले रहा है, जबकि उत्तर–प्रदेश, आज जो हमारी थर्मल पावर परियोजना है उसका शेयर हमें नही मिल रहा है और हमारे यहां की जो पन–बिजली है उसमें भी उन्हें शेयर दिया जाता है। इस पर भी आप सम्यक रूप से विचार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के अनुभवात्मक तथा जो प्रतिनिधियों के विचार हैं उसको प्राप्त करता हूँ। जहाँ कहीं पूर्ववर्ती समय में नही हुई है वहां मैं यथासम्भव बदलने का प्रयास करूंगा और उसमें आप सबके सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राजकीय सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों पर लगी रोक

**2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या सरकार शासकीय सेवाओं में तदर्थ नियुक्तियों पर लगी रोक को खत्म करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री नारायण दत्त तिवारी)–

जी नहीं। यह किसी विशेष परिस्थितियोंवश, यह रोक हटाये जा सकने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

रिक्त पदों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित चयन करने के लिये विभागों को निर्देश दिये गये हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे कौन–कौन सी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिन पर ये तदर्थ नियुक्तियों पर रोक हटाई जा सकती है। दूसरा, यह जानना चाहता हूँ कि रिक्त पदों पर भर्तियों के विलम्ब होने का कारण क्या है तथा तीसरा प्रश्न यह जानना चाहता हूँ कि कितने पदों को भरते के निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों का कितना पालन होता है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य तो उत्तर प्रदेश में भी तथा पूर्ववर्ती उत्तरांचल सरकार में भी उनका विशेष अनुभव रहा है। मैं उनके दीर्घकाल का आह्वान करते हुए यह आग्रह करूंगा कि अभी कुल 16 दिन हुए हैं वर्तमान शासन को शपथ लिए हुए, और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बहुत से बिन्दुओं को जितना राज्यपाल के अभिभाषण में निचोड़ के रूप में लिखा जा सकता था, लिखने का प्रयास किया गया है और जहाँ तक रिक्तियों का प्रश्न है मुझे तो माननीय सदस्य की मंशा भांपने में कुछ कठिनाई हुई। मुझे इस प्रश्न को पढ़ने से ऐसा लगा कि शायद वह रोक को खत्म करना चाहते हैं। मैं उनसे स्वयं इस बात को जानने का अभिलाषी हूँ कि वे किन रिक्तियों को समाप्त करना चाहते हैं?

मान्यवर, हमने यह दरवाजा खोल रखा है, कहीं पर जरूरत होगी तो अवश्य हटाया जाएगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार का 22 फरवरी, 2002 को यह आदेश जारी हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सोच–समझ कर ही यह रोक लगायी होगी, इसलिए हम बिना सोचे–समझे इसको हटाकर यह संदेश नहीं जाने देना चाहते कि पूर्ववर्ती सरकार के अच्छे कामों को भी हमने रोक दिया। इस सम्बन्ध में यदि आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी राय अवश्य लेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, यह सही है कि पिछली सरकार के जिस आदेश को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्धृत किया, उससे हम ही नहीं सारी जनता दु:खी है। मान्यवर, बेरोजगारी का जो सवाल हमारे प्रदेश में है, यह केवल तदर्थ नियुक्ति से सम्बन्धित नहीं है। जब हमारा प्रदेश अलग बना तो लोगों को आशा हुई कि अब हमको रोजगार अवश्य मिलेगा और जब रोजगार की बात आती है तो सरकारी नौकरी की तरफ सबसे पहले ध्यान जाता है और सरकारी नौकरियों पर पूरे देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संकुचन चल रहा है, उसके रहते हुए हम सरकारी नौकरियों की बाढ़ तो नहीं ला सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने दरवाजा खोल रखा है, तो वह दरवाजा बहुत ज्यादा तो नहीं खोल सकते हैं। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुछ कर्मचारी तदर्थ नियुक्ति पर हैं और कुछ दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं, तो क्या इनके अतिरिक्त भी नियुक्तियों पर विचार किया जा रहा है, क्या सरकार इस सारे प्रकरण पर सम्यक नीति बनाने जा रही है। दूसरा जो रिक्त पद हैं, इन पर नियुक्ति करने के बाद क्या उन पदों पर भी नियुक्ति करने पर सरकार नीति बनाएंगी? तीसरा, जैसा कि अभी बहुत सारे प्रदेशों और केन्द्र में भी सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्ति की आयु बढा कर 60 साल कर दी गयी है, तो क्या हमारी सरकार भी इस पर विचार करेगी? इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कृपा पूर्वक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इस सम्बन्ध में दिऐ हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि इस पर सम्यक विचार की आवश्यकता है, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह अपने सुझाव हमें इसी प्रकार देते रहेंगे। साथ ही हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अब काफी सक्रिय हो गए हैं, उनके द्वारा समय–समय पर जो निर्देश दिए गए हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक बढ गयी है, उनका ध्यान भी विधानसभा तथा विधायकों को रखना पड़ता है।

मान्यवर, इस सब को ध्यान में रखते हुए अवश्य ही नीति बनेगी। इसका उल्लेख हमने बिन्दु वार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी किया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मेरा प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह था कि विभिन्न विभागों में विभिन्न पद खाली पड़े हैं और चयन प्रक्रिया में विलम्ब होता है जबकि तदर्थ नियुक्ति में जल्दी हो जाती हैं। मान्यवर, मैं यह उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हूँ कि चयन प्रक्रिया के लिए विभागों को निर्देश दिये गये हैं। मै माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर करता हूँ। इस सदन में चाहे हम विपक्ष में बैठे या सत्ता पक्ष में यह हमारा अधिकार है कि हमको सही उत्तर मिले जबकि होता यह है कि लीपा–पोती करके उत्तर दिये जाते हैं और सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। मान्यवर, यह उत्तर भी गुमराह करने वाला है। यह लिखना कि नियमित चयन के लिए विभागों को निर्देश दिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वे निर्देश क्या हैं और उन पर कब तक अमल किया जायेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस प्रश्न के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य गठन के बाद विभागों द्वारा पदों के संबंध में संरचना तैयार नहीं की गई है। रिक्तियों की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा रहा है जैसे ही आंकलन मिल जायेगा मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूँगा।

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में खनन एवं विपणन की व्यवस्था

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के 13 जनपदों के वन क्षेत्रों में रेता, बजरी तथा पत्थर के खनन एवं विपणन की क्या व्यवस्था की गई है?

क्या सरकार अवैध खनन को रोकने हेतु कोई कदम उठाने जा रही है?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

उत्तरांचल राज्य खनिज नीति, 2001 में वन क्षेत्रों से रेता, बजरी और पत्थर के खनन एवं चुगान का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम से कराया जाना प्राविधानित है। वन क्षेत्रों के अन्तर्गत बहने वाली नदियों से इन खनिजों के खनन एवं चुगान का कार्य वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जनपद, चम्पावत में शारदा नदी पर, जनपद देहरादून में यमुना नदी पर, जनपद नैनीताल में कोसी एवं दावका नदी पर तथा जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर में गौला नदी पर उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

जनपद हरिद्वार के आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली नदियों पीली, गंगा, रवासन एवं कोटावाली में तथा जनपद गढ़वाल के मालन नदी में, जनपद टिहरी के चन्द्रभागा नदी एवं खारा सोत में उक्त खनिजों के खनन एवं चुगान के सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति प्रतीक्षित है।

शेष छः जनपदों के सम्बन्ध में कोई खनन एवं चुगान आदि निगम द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

वन निगम द्वारा सीधे विपणन का कार्य नहीं किया जाता है अपितु, परम्परागत मजदूर जो इन नदियों में खनन एवं चुगान का कार्य करते हैं, उनके द्वारा एकत्रित रेता, बजरी व पत्थर की निकासी के समय वन विकास निगम द्वारा स्थापित चैक चौकियों में निर्धारित दरों पर रायल्टी, व्यापार कर, आयकर इत्यादि की वसूली की जाती है और गन्तव्य स्थान का निकासी रवन्ना प्रदान किया जाता है।

वन क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने की व्यवस्था है, जिसमें आकस्मिक निरीक्षण, खनिजों की जांच तथा आकस्मिक छापे मारे जाना सम्मिलित है।

अतारांकित प्रश्न

रुद्रप्रयाग के ग्राम आरस्यूँ में पेय जल संकट एवं उसका निवारण

1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास एवं पेयजल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम आरस्यूँ पट्टी बछणस्यूँ जनपद रूद्रप्रयाग में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो रखा है?

यदि हां तो क्या शासन उक्त ग्राम में पेयजल की सुविधा प्रदान करेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

प्रश्नगत ग्राम में गम्भीर पेयजल संकट नहीं है बल्कि पेयजल योजना पुरानी तथा क्षतिग्रस्त होने के कारण अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति करायी जा रही है।

योजना के जीर्णोद्धार कार्य वर्ष 2001–02 की जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

वन निगम की लकड़ी सेलाकुई तथा हर्बटपुर के डिपों में भेजने के सम्बन्ध में

2–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि बी० बी० वाला से वन निगम की लकड़ी सेलाकुई तथा हर्बटपुर के पास के जंगलों की लकड़ी चन्द्रबनी डिपों में और चन्द्रबनी के पास के जंगलों की लकड़ी हर्बटपुर के डिपों में भेजी गयी है?

यदि हां तो, वन निगम द्वारा ऐसी अलाभकारी व्यवस्था किये जाने के क्या कारण हैं!

क्या सरकार इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी?

श्री नव प्रभात–

जी हां,

वर्ष 1998–99 से होप्लो से प्रभावित साल जंगलों से उत्पादित प्रकाष्ठ के भण्डारण हेतु हर्बटपुर एवं सेलाकुई डिपो चिह्नित है। इसी आधार पर बीबीवाला तथा चन्द्रबनी क्षेत्र के निकट के होप्लों प्रभावित साल प्रकाष्ठ को हर्बटपुर व सेलाकुई डिपों में भण्डारित किया जाता रहा है।

हर्बटपुर के पास का साल प्रकाष्ठ जो होप्लों से प्रभावित नहीं था, को पूर्व व्यवस्था के अनुसार चन्द्रबनी डिपो में ही भण्डारित किया जा रहा है।

होप्लों प्रभावित प्रकाष्ठ को शेष प्रकाष्ठ से अलग रखने के लिए ही उक्त व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग में तिलवाड़ा–सौराखाल तथा खांकरा–खेडाखाल–खिर्सू मोटर मार्गों का डामरीकरण विषयक

3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद रूद्रप्रयाग में तिलवाड़ा–सौराखाल मोटर मार्ग तथा खांकरा–खेड़ावाल–खिर्सू मोटर मार्ग से बाद में बने अन्य मार्गों का डामरीकरण हुआ है?

क्या कारण है कि उक्त दोनों मोटर मार्गों का डामरीकरण सघन बस्ती होने पर भी आज तक नहीं हुआ है?

क्या सरकार उन दोनों मोटर मार्गों का डामरीकरण शीघ्र कर पायेगी?

यदि हां तो, कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

तिलवाड़ा–सौराखाल मोटर मार्ग की कुल लम्बाई, 35.00 कि0मी0 के सापेक्ष 5.70 कि0मी0 लम्बाई में डामरीकरण का कार्य स्वीकृत है और कार्य प्रारम्भ हो चुका है। खांकरा–खेड़ाखाल–खिर्सू मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 38.60 कि0मी0 के सापेक्ष मार्ग के प्रथम 5.00 कि0मी0 के भाग में डामरीकरण का कार्य स्वीकृत हुआ है और कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप विचार किया जायेगा।

उक्त के अनुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग के मयाली–रणधार मोटरमार्ग का डामरीकरण

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मयाली–रणधार मोटर मार्ग जनपद रुद्रप्रयाग से बाद में बने मोटर मार्गों का डामरीकरण हो चुका है?

यदि हां तो उक्त मोटर मार्ग का डामरीकरण कब होगा?

यदि नहीं तो क्यों?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

उक्त मार्ग के 2.5 कि0मी0 भाग के लिये डामरीकरण का कार्य स्वीकृत हो चुका है। कार्य प्रगति पर है। अवशेष भाग का डामरीकरण पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतता के अनुरूप विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

नगर पंचायतों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान की कार्यवाही के सम्बन्ध में

5—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या नगर विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितनी नगर पंचायत अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रही है?

सरकार इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान के विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री नवप्रभात—

उत्तरांचल में तीन नगर पंचायतें (1) रूद्रप्रयाग, (2) कीर्तिनगर (3) देवप्रयाग अपने कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन भुगतान नहीं कर पा रही है।

शासन द्वारा माह नवम्बर, 2001 एवं फरवरी 2002 में इन नगर पंचायतों रूद्रप्रयाग, कीर्तिनगर तथा देवप्रयाग को क्रमशः 9,74,000, 10,89,000 तथा 5,64,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि वेतन भुगतान तथा अन्य विकास कार्यों के लिए आवंटित की गयी।

भटवाड़ी—भैंसगांव हल्का मोटर मार्ग पर यातायात चलाये जाने की जानकारी

6—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या लोक निर्माण मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि भटवाड़ी—भैसगांव हल्का वाहन मार्ग का निर्माण कब हुआ था ?

क्या यह सत्य है कि यह हल्का वाहन मार्ग 5 वर्षों से बन्द पड़ा है?

यदि हां तो क्या सरकार इस मार्ग को कब तक वाहन चलाने योग्य बनायेगी?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

भटवाड़ी—भैसगांव हल्का वाहन मार्ग कुल लम्बाई 6.00 कि0मी0 की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 31.3.96 द्वारा दी गई थी किन्तु मार्ग का निर्माण वास्तविक रूप से 5.0 कि0मी0 हेतु प्रस्तावित है। उक्त मार्ग का निर्माण वर्ष 1997 में प्रारम्भ किया गया था।

जी नहीं। कुल 5.00 कि0मी0 मार्ग में से 4.75 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है शेष 0.250 कि0मी0 की लम्बाई में पहाड़ कटान का कार्य प्रगति पर है।

जून—2002 तक उक्त मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध हो जायेगा।

रूद्रप्रयाग में बाईपास सड़क का निर्माण

7—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या लोक निर्माण मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रूद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बसें खड़ी रहने के कारण यात्रा सीजन में जनता एवं यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है?

यदि हां तो क्या सरकार रूद्रप्रयाग में बाईपास सड़क का निर्माण कराने जा रही है?

यदि हां तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

मार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन है। उनके द्वारा रूद्रप्रयाग बाईपास का प्रस्ताव पत्र सं0 20601–11/आर–जे–एम (डीएल)/दीपक/29/डीजीबीआर/ दि0 28.9.2001 द्वारा भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

प्रश्न ही नहीं उठता।

8–प्रथम शुक्रवार के अतारांकित 2 में स्थानान्तरित

भैसगांव तल्ला नागपुर तथा सांदर तल्ला नागपुर में मन्दाकनी नदी से लिफ्ट पेयजल योजना पर विचार

9–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि भैसगांव तल्ला नागपुर तथा सांदर तल्ला नागपुर में गम्भीर पेयजल संकट है?

क्या सरकार उक्त दोनों ग्रामों को पेयजल सुविधा मुहैया कराने हेतु मन्दाकनी नदी से लिफ्ट पेयजल योजना बनाने पर विचार करेगी?

यदि, हां तो कब तक उक्त पेयजल योजना का निर्माण हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

रूद्रप्रयाग के जवाड़ी भरदार पेय जल योजना के लाभान्वित परिवारों से जलकर वसूलने की जानकारी

10–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि पेयजल योजना जवाड़ी भरदार रूद्रप्रयाग, गढ़वाल जल संस्थान के आधीन है?

यदि हां तो इस योजना से लाभान्वित परिवारों से जल कर क्यों नहीं लिया जा रहा है?

क्या इस योजना में पानी सुचारू रूप से चल रहा है?

यदि नहीं तो क्या ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

जनपद रूद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्र में जल कर लागू नहीं है बल्कि जल मूल्य/जल स्तम्भ शुल्क लिया जाता है। निजी जल संयोजनों से जल मूल्य आंशिक रूप से वसूल हुआ है। शेष परिवारों से जल मूल्य/जल स्तम्भ शुल्क वसूलने की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

कानून–व्यवस्था के संबंध में जो नियम–311 की आपने सूचना दी है उसे मैं नियम–311 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करता हूं, लेकिन इसे मैं नियम–56 के अन्तर्गत सुन लूंगा।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, आपने मेरी इस सूचना पर मुझे बोलने की आज्ञा दी, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं।

मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश में विधान सभा चुनावों के पश्चात दिन–प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। विगत दिनों हत्या, डकैती, राहजनी तथा लूटमार की लगभग सभी जनपदों में घटनायें घटित हुई हैं, परन्तु उनमें से कई घटनाओं में रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। हरिद्वार जनपद में दिनांक 23 फरवरी की रात्रि एक ही परिवार के सभी तीन सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने के बाद अब तक कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। चुनाव के दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात पटवारी को जनपद पिथौरागढ़ में बुरी तरह से पीट दिया गया, जिसकी बाद में चिकित्सालय में मौत हो गई। डीडीहाट क्षेत्र के विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल को पिथौरागढ़ के धल नामक स्थान पर, 01 मार्च को असामाजिक तत्वों द्वारा गोली मारने की धमकी दी गई, घटना स्थल पुलिस चौकी से मात्र 100 मीटर दूर था। रिपोर्ट करने पर भी कार्यवाही नहीं हुई। दिनांक 18 मार्च को हरिद्वार के विधायक श्री मदन कौशिक के वाहन सं0 यू0पी0 08/5500 से बैट्री इत्यादि निकाल ली गई। राजधानी देहरादून में असामाजिक तत्वों द्वारा दैनिक जागरण व अमर उजाला के कार्यालयों में तोड़–फोड़ की गई तथा समाचार पत्रों से जुड़े हुए अधिकारियों, पत्रकारों व कर्मचारियों पर कातिलाना हमले किये गये, परन्तु घटना की नामजद रिपोर्ट होने पर भी अपराधी गिरफ्तार नहीं

किये गये। एक सप्ताह के अन्दर 40 से अधिक पीड़ितों ने पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के कारण हरिद्वार जनपद में अदालत के माध्यम से 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिये हैं।

जब से प्रदेश में नव निर्वाचित सरकार गठित हुई है, कानून व्यवस्था अत्यंत खराब हो गई है। सदन के मा0 सदस्य भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अतः नियम 311 के अन्तर्गत बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आज नियमों का निलम्बन कर चर्चा कराने की मांग करते हैं।

मान्यवर, यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब से यह सरकार आयी है, जनता को इस सरकार से बड़ी आशा जगी। इस प्रदेश में अत्यंत वरिष्ठ एवं राजनयिक अनुभवी नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लोगों को यह अपेक्षा थी कि उनके मुख्यमंत्री बनते ही इस प्रदेश का न केवल विकास होगा, बल्कि विकास की लहर दौड़ेगी। जिसे लोग विकास पुरुष कहते है। (सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्य बैठकर ही बोलने लगे)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, अलग से आपने ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। क्या नियम 56 में आपने इसे स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष–

केवल सुनना है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, अगर आप देखें जब से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, पूरी व्यवस्था चरमरा गयी है।

(डा0 हरक सिंह रावत जी के खड़े होने पर–व्यवधान)

मान्यवर, डा0 रावत जी तो मंत्री रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग यदि ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। मैं 02 तारीख को घटित घटना के बारे में कह दूँ। राजकीय सैनिक चिकित्सालय के डा0 नवीन को छुरी और चाकू से मारा गया। 05 तारीख को डेविड को डंडों से पीटा गया, इसी तारीख को देहरादून में घटित कुछ घटनाएं हैं। इसी प्रकार से 08 मार्च को ऊधम सिंह नगर में एक बंगाली महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस शासन के अंदर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। मान्यवर, इसी तरह से हल्द्वानी में दो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उनको लूटा गया। इसी तरह 13 मार्च को काशीपुर में हमारे सिपाही एक कैदी को लेकर हल्द्वानी आ रहे थे तो सिपाही को घायल कर दिया गया और कैदी को भगा दिया गया, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया। आप सत्ता में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार रामनगर से काशीपुर जा रही बस का लूटा गया, अरबन कोआपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को लूटा गया। 12 मार्च दो दूधियों को लूटा गया और 12 मार्च को ही दो महिलाओं की चेन छीन ली गई मान्यवर, राजधानी में एक महत्वपूर्ण पेपर के कार्यालय पर गुण्डागर्दी होती है उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि इस तरह की गुण्डागर्दी शायद किसी भी राज्य में

शायद सहन किया जाय। मुझे पता लगा कि यहां पत्रकारों ने पहली बार इस विधान सभा का और इस प्रदेश का पहला सत्र था, पहले दिन ही पत्रकारों ने विधान सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इस प्रकार की घटना हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार नशे में चूर है और उनकों पता ही नहीं लगता है।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नेता प्रति पक्ष बोल रहे हैं तो बीच में बोलना तो व्यवधान हुआ।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी कार्यस्थगन का प्रस्ताव इस दृष्टि से स्वीकार किया गया और आपको पता है कि नियम–56 के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लिखित है।

अविलम्बनीय लोक महत्व का एक प्रश्न मानकर नेता प्रतिपक्ष ने उत्तर प्रदेश के जितने भी समाचार पत्र हैं उन सब का हवाला देकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव किया है। यदि कार्य स्थगन का प्रस्ताव इस रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो यह सरकार के प्रति अविश्वास ही माना जायेगा। किन्तु कार्य स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय हो, तात्कालिक हों और किसी एक विषय पर तत्काल घटित घटना हों। जितनी भी घटना माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्तुत की है, वह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। क्यों कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है। ग्राहयता से सम्बन्धित विषयों का मुझे भी लम्बा अनुभव है। इस विषय पर चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में कर सकते हैं। नियम 56 के अन्तर्गत संसदीय परम्परा में भी यह विषय नहीं आता है। यदि अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है तो आप अपनी पीठ से आदेशित कर दें। मान्यवर, जिस ढंग से नेता प्रतिपक्ष ने यहां यह प्रस्तुत किया है। क्या नियम 56 के अन्तर्गत हमें 20 विषयों को लेने की अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष–

इस बारे में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान चर्चा होगी।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

आप दल की ओर से बोल सकते हैं। यह सदन नियम से चले। जीरो आवर प्रतिपक्ष का होता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी आपने कदाचित नेता प्रतिपक्ष को अपना विषय प्रस्तुत करने की जो अनुमति दी है, मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। उसके तहत नियम 311 के प्रश्न को उठाया है उसे नियम 56 के अन्तर्गत सुनने की अनुमति दी है। उसकी ग्राहयता पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी का कोई और नजरिया हो सकता है। मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका अधिकार है, स्वविवेक है। लेकिन समय एक निर्धारित करना चाहिए। जब कार्यवाही चलती है उसमें जो सामान्य प्रक्रिया है, जहां तक मेरा अनुभव है कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ली जाती है। चूंकि आपने नियम 56 के अन्तर्गत इस विषय को ग्राहयता पर सुनने का आदेश दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है इसलिए मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है आने वाले समय में यह नजीर न बने। जो प्रश्न उठाये गये हैं, उनको भी समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूँ। आज सदन का पहला दिन है। नियम 311 के प्रश्न को रखा था। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन नियम 56 के अन्तर्गत प्रश्न काल के बाद इसको सुनने की अनुमति दी थी और ग्राह्यता पर बोलने का मैंने अवसर दिया था। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि कई बिन्दुओं पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल को व्यक्तिगत रूप से उससे अधिक सम्मान के साथ जितना कि उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक मुझ जैसे सेवक के बारे में व्यक्त किये, मैं उनके स्वभाव से उनकी जो छवि रही उसको देखते हुए।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो चुनी हुई पहली विधान सभा का अधिवेशन है, यहां पर जो हम अपनी संस्कृति का निरूपण करेंगे वह आने वाले समय में उदाहरण के रूप में पढ़ा जायेगा। इस समय जो संसदीय प्रक्रिया रहेगी आगे आने वाले समय में लोग देखेंगे। मैं सम्मानित नेता का आभारी हूं कि उन्होंने पुरानी परिपाटी का पालन किया है, मुझे कोई शिकायत नहीं है यह अधिकार है, नेता विरोधी दल का। मैं मानता हूं कि मुझे हर हत्याओं, दुर्घटनाओं पर क्षोब हेता है, हमने एक परिपाटी बनाई है कि जो घटना होती है उसे तत्काल संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाता है और उसके अनुसार कार्यवाही होती है। माननीय नेता विरोधी दल को कुछ ऐसा लगा कि हमने पत्रकार जगत के सम्मान में कोई कमी कर दी है। मैं स्वयं श्रमजीवी पत्रकार आज से 50 साल पहले रहा हूं और मैं पत्रकारों का सम्मान उतना कर सकता हूं जितना कि आप कर सकते हैं और मैं आपके माध्यम से पत्रकार समुदाय को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पत्रकार समाज का सम्मान करेंगे। इस मामले में जो प्रश्न आया है आज और कल के अखबारों में उसका उल्लेख है। दैनिक जागरण कार्यालय पर मुख्य 11 असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने यह उपद्रव किया। दैनिक जागरण से हम सब का संबंध रहा है।

जागरण का असम्मान करें, ऐसा होने नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही कानून व्यवस्था में जो 2 मुख्य मुल्जिम थे, वे यहां थे ही नहीं, और इसके बाद दूसरे ही दिन रुड़की से और उसमें मैं समझता हूं कि जिन–जिन लोगों ने हमारे जिला प्रशासन का सहयोग दिया उनका मैं आभारी हूं। अब वे मुल्जिम पकड़े गए हैं, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आगे हम और सतर्क रहेंगे और हमारा शासन सतर्क रहेगा और आप सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 56 की अन्य सूचनाएं लेता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

*श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, आज से लगभग ढाई माह पहले बाजपुर चीनी मिल के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी। आज से 4 दिन पहले यह हड़ताल आमरण अनशन में परिवर्तित हो गई। चीनी मिल के जितने कर्मचारी हैं, लगभग 700 में से 500 कर्मचारी रिटॉयर हो चुके हैं। वर्तमान में चीनी मिल बाकीं के 200 कर्मचारियों के बलबूते पर चल रही है। यदि दैनिक कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए तो अच्छा होगा और तत्काल कोई समाधान किया जाए तो अच्छा होगा।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अरिवन्द पाण्डेय जी यद्यपि यह कार्य स्थगन प्रस्ताव में नहीं आता, यह दैनिक वेतन–भोगी कर्मचारियों की समस्या 10–15 वर्षों से चली आ रही है। जो 3 कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उस सम्बन्ध में आपने प्रश्न उठाया है और इस सम्बन्ध में जो सूचना हमको प्राप्त हुई है कि उनसे इस बारे में वार्ता की जा रही है, प्रस्ताव भेज दिया और अनशन शीघ्र ही समाप्त हो, इस सम्बन्ध में यह सरकार कर्मचारियों के साथ प्रशासन वार्ता करा कर अनशन समाप्त कराने की कोशिश कर रही है।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, न कोई वार्ता की गई और न ही कोई प्रस्ताव भेजा गया।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नोटिस 10.00 बजे मिला और उसके बाद प्रशासक को भेजा गया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पूरे उत्तरांचल में विगत कुछ दिनों से कुछ फाइनेन्स कम्पनियों ने अपना जाल बिछाया था जिसके कारण यहां की भोली–भाली जनता फँस गई। क्रिस्टल क्रेडिट, अपेस तथा अन्य जितनी भी फाइनेन्स कम्पनियां हैं, ने यहां की जनता की धनराशि को लूटा और वे वहां से भाग गए। कुमाऊँ में क्रिस्टल क्रेडिट ने ही 25 करोड़ रुपए जनता का लूट लिया। 55 लोग इन पर एफ0आई0आर0 कर चुके हैं, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जनता परेशान है कि उनसे किस तरह से धन की वसूली हो सकती है? खून–पसीने की कमाई की वापसी कैसे हो सकती है? मुख्य अभियुक्त आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सदन के माध्यम से मैं जनता की इस आवाज को कहना चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय तथा अति–महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जानी चाहिए ताकि उस पर सरकारी कार्यवाही हो सके।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी स्वयं इस पीठ पर विराजमान हो चुके हैं, उन्हें तो नियमों की जानकारी बहुत अच्छी तरह होगी। यह विषय नियम 56 के अन्तर्गत नहीं बनता है, पहली बात तो इसमें तात्कालिकता नहीं है और दूसरी बात यह किसी एक बिन्दु पर नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनता की गाढ़ी कमाई लुट गयी और आप कह रही हैं, तात्कालिकता नहीं है।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं, यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। किसी अन्य नियम के अन्तर्गत आप इसको ला सकते थे। यह सही है कि फाइनेंस कम्पनियों में निर्धन और गरीब लोगों की मेहनत का पैसा जमा है। इन कम्पनियों में निर्धन और गरीब लोगों की मेहनत का पैसा जमा है। इन कम्पनियों के प्रति लोगों में अविश्वास भी पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें भी आ चुकी हैं। मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि अपेस इन्डिया कारपोरेशन के मनोज प्रभाकर को इस सम्बन्ध में सजा भी हो चुकी है। अपेस इण्डिया कारपोरेशन के विरुद्ध उत्तरांचल में सात अभियोग पंजीकृत है इसमें 17 अभियुक्त हैं। इनमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 5 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है, एक अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है, 2 अभियुक्त गलत पाये गए। मुख्य अभियुक्त श्री दिव्य नौटियाल, मुख्य प्रबन्धक के विरुद्ध भी माननीय न्यायालय में आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है, क्योंकि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है।

क्रिस्टल क्रेडिट के विरुद्ध थाना गोपेश्वर, जिला चमोली में मुकदमा अपराध संख्या 216/99 अन्तर्गत धारा 420/406 मा0द0वि0 बनाम महेश पाठक में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पट्टी जिला नैनीताल में उनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही, धारा 83 द0प्र0सं0 के तहत की गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो गरीब लोग वहां पर रोजगार की तलाश में गए थे, उनको तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं, वह अभी भी बाहर घूम रहे हैं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि अपेस के मुख्य प्रबन्धक अभी बाहर हैं, उनकी तलाश की जा रही है, उनकी सम्पत्ति की कुर्की की जा रही है। इस सम्बन्ध में मनोज प्रभाकर जैसे क्रिकेट खिलाड़ी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है तथा महेश पाठक की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिन लोगों को फंसाया गया है, वह निरपराध हैं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह अपराधी हैं या नहीं, यह तो हम तय नहीं कर सकते। जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनकी विवेचना करने के बाद ही यह तय किया जा सकता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विवेचना कब तक पूरी हो जाएगी?

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, सम्मानित सदन को और हमारे प्रश्नकर्ता सदस्य को यह ज्ञात है।

मान्यवर, इस संबंध में केन्द्र सरकार ने भी बहुत प्रभावी कार्यवाही करने का प्रयास किया और दूसरी ओर जो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है उन्होंने भी इस संबंध में कठोरता पूर्वक पिछले एक साल के अंदर प्रभावी कार्यवाही की है। जो कार्यवाही केन्द्र को करनी है उसके लिए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री के पास पत्र भेज दूंगा। जो संविधान में केन्द्र का दायित्व है उसे वे पूरा करेंगे और जो हमारा कार्य है उसे हम करेंगे। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने विस्तृत जानकारी सदन को दी। इस राज्य की जनता जो भी पैसा जमा करें उसे सावधानी से जमा करे। जब मैं पहली बार विधायक बना था तब एक लोधी बैंक हुआ करता था उनका कहना था कि एक लगाओ, सात पाओ। गरीब जनता लालच में आकर उनके चक्कर में फंस जाती है, जनता को सावधान रहना चाहिए। मेरा इस राज्य की जनता से आग्रह है कि वह अपना पैसा पोस्ट आफिस, राष्ट्रीकृत बैंक या को–अपारेटिव बैंक में ही जमा करें।

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में कानून–व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। दिनांक 15.02.2002 को श्री कल्याण सिंह बोरा को कुछ लोग घर से बुला कर ले गये। उसकी पत्नी को शक हुआ। जो लोग उसे बुलाकर ले जा रहे थे वे उसे पीट रहे थे। उसकी पत्नी श्रीमती हेमा देवी ने अपने पति को पिटते हुए देखा। श्रीमती हेमा देवी ने अपने पति को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से उसे बरेली रैफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु दिनांक 27.02.2002 को हो गई। उसकी पत्नी ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 01.03.2001 को जब मैं डीडीहाट जा रहा था तो थल स्टेशन के पास श्री जोध सिंह व श्री मुन्ना सिंह द्वारा मेरी गाड़ीं को रोका गया और मुझे बाहर आने को कहा गया। बाहर निकलने पर मुझे गोली मारने की धमकी दी गई। मैंने टेलीफोन पर इसकी सूचना सी0ओ0 को दी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह अविलम्बनीय, लोक महत्व का प्रश्न है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर चर्चा करा ली जाये।

(सदन में मोबाईल की ध्वनि सुनाई देने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया मोबाईल बन्द कर लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो सूचना माननीय प्रकाश पंत जी ने उठाई, उसके संबंध में यह जानकारी नहीं दी गई कि वह सूचना निरस्त कर दी गई या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत सभी सूचनाओं पर ग्राहयता पर सुनने के बाद मैं सभी सूचनाओं पर एक साथ अपना निर्णय दूंगा।

डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत जो सूचना दी गई है। यह घटना दिनांक 15.02.2002 की है उस समय हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुख्य मंत्री थे, लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है।

माननीय अध्यक्ष जी, श्री बिशन सिंह चुफाल ने कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, यह घटना 15 फरवरी, 2002 की है। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी हमारी है और यह सही है कि कोई भी घटना जिसमें कल्याण सिंह बोरा को पीटने की बात है। यह सत्य है। अपराध संख्या 32 धारा (2) के अन्तर्गत जिसमें श्री जगत सिंह सामंत पर मुकदमा कायम किया गया है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।

मान्यवर, आपने बताया कि मुझे गोली मारने की धमकी दी गयी। आपने बताया मैंने रिपोर्ट दर्ज करायी, लेकिन गृह विभाग द्वारा जानकारी मिली, आपने कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज की, फिर भी आपकी बात को सत्य मानते हुए हम यह जानकारी करेंगे कि आपके द्वारा यदि टेलीफोन के माध्यम से भी कोई सूचना दी गयी हो तो वह एफ०आई०आर० दर्ज मानी जायेगी, जो हत्या हुई है यह गम्भीर मामला है, अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, इस अवसर पर जो माननीय सदस्यों की सुरक्षा का सवाल है, हम इस बात के आदेश देते रहेंगे कि प्रत्येक विधायक की सुरक्षा के लिए उनको एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, पहले आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद आवश्यकता हुई।

(सभी मा० सदस्यों के एक साथ हंसने पर)

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, अभी तक हम विधायकों को, गनर नहीं दिये गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी –

मान्यवर, पहले विधायकों की संख्या 30 थी, अब 70 हो गयी है, इसलिए अब आदेश नये ढंग से बनेगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं ऐसे विषय को यहां पर ले रहा हूं जो हमारी ही नहीं बल्कि सत्तापक्ष की भी है। वर्तमान में उत्तरांचल में बोर्ड की परीक्षाएं चल रहीं हैं–हाई स्कूल और इंटर मीडिएट की और विद्युत कटौती का समय ज्यादा रखा गया है। शाम होते ही पूरे उत्तरांचल के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली चली जा रही है और सुबह के समय में भी बिजली चली जा रही है, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। यह उनके भविष्य के साथ एक तरह का खिलवाड़ हो रहा है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां विद्युत कटौती के कारण जनता में जबरदस्त आक्रोश इस सरकार के खिलाफ है।

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर तुरन्त निवारणात्मक कार्यवाही करें। यह तात्कालिक और लोक महत्व का विषय है, इससे ज्यादा तात्कालिक विषय और कोई हो नहीं सकता है। इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने का अनुरोध आपसे करता हूं।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यद्यपि नियम–56, कार्य स्थगन में नही आता है, इसलिए माननीय मंत्री जी का विषय नहीं बनता है फिर भी विभाग ने जो सूचना एवं जानकारी दी है कि पीक अवधि को छोड़कर विद्युत कटौती नहीं की जा रही है, उन्होंने बताया कि इसके समाधान के लिए एक रानीखेत में विद्युत आपूर्ति के लिए 132 के0वी0 का सब स्टेशन और भवाली में 15 के0वी0 का सब स्टेशन स्थापित करने का कार्य चल रहा है। इनकी स्थापना से आपको विद्युत आपूर्ति हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण में भी शासन ने अपना निश्चित मत व्यक्त किया है कि 3 माह के अन्दर इसकी समीक्षा की जा रही है। जो आपूर्ति नहीं हो रही थी वह विद्युत कटौती भी कम हुई है, उसमें सुधार किया जा रहा है। 3 माह के अन्दर पूरे उत्तरांचल राज्य को विद्युत कटौती से मुक्त कराने का संकल्प कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जिन विद्यार्थियों को बहुत कष्ट हो रहा है परीक्षाओं के दौरान उसका उल्लेख बड़े मार्मिक शब्दों से किया। चुनाव अभियान के दौरान हमको इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी। बेताल घाट में कहा गया कि वहां पर तीन घंटे बिजली आ रही है। बहुत बार यह होता है कि पूर्ववर्ती सरकारों पर इसका दोष मढ़ दिया जाता है और अपना काम हम नहीं करते मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं इस तरह का उलाहना नहीं देना चाहता हूँ। यह आग्रह करूंगा कि हमें इस तरह की उलाहना देने के लिए मजबूर न करें। (मेजों की थपथपाहट) आप नेता विरोधी दल भी हैं और ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं। बिजली उपलब्ध है, विद्युत पहुंचाने, डिस्ट्रीब्यूशन, पारेषण में कठिनाईयां हैं। हमको उत्तरांचल में हर जगह पारेशण व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था जिसमें ट्रांसफार्मर आदि आते हैं को ठीक करना हैं, उसमें पूरी तरह परिवर्तन लाना है।

आपने इस संबंध में निर्देश दिया था, इन निर्देशों को और तीव्रता के साथ लागू करने का प्रयास है। जिस दिन आप आर्शीवाद देने आए थे (व्यवधान) उस समय तक आप मुख्यमंत्री थे। मैंने शपथ ग्रहण के दिन ही राजभवन में अधिकारियों की पहली बैठक की थी कि यह कमी कैसे दूर हो जाए। इसमें समय लगेगा। आपके प्रयासों से शायद रानीखेत में ट्रांसफार्मर लगने की बात हो रही है उसको साकार किया जाएगा। उसे पूरा किया जाएगा, जो माननीय सदस्यों ने आश्वासन दिया था। आपका सहयोग मिलेगा, मुझे आशा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह इतना तात्कालिक प्रश्न है, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए क्या कटौती के घंटों में कटौती करेगी। दिन में कटौती कर ली जाए, ऐसे समय में करें जो पढ़ाई का समय नहीं होता है। इसका उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, 15 अप्रैल तक यह व्यवस्था ठीक कर दी जायेगी।

श्रीमन्, पीक आवर का अर्थ यह होता है शाम का समय। चूंकि हमें दिल्ली से बिजली प्राप्त होती हैं दूसरे अन्य प्रदेश से बिजली प्राप्त होती है। लेकिन मैं इस बात का आदेश दूंगा आपके प्रश्न पर, सदन की सलाह पर कि सारे उत्तरांचल में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि पीक आवर में भी कुछ क्षेत्रों में कटौती न हो, चूंकि हर जगह इम्तिहान होते हैं, इम्तिहान के दिनों में बिजली उपलब्ध हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री निजामुद्दीन।

श्री निजामुद्दीन–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। राजधानी गठन के दौरान काफी वित्तीय अनियमितताएं बरती गई, उस समय वित्तीय नियमावली हस्त पुस्तिका को ताक में रख दिया गया और साज–सज्जाओं में पैसा लगाया गया, उसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट क्या थी? कौन अधिकारी उसमें लिप्त थे उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की इसकी जानकारी सदन में नहीं दी गई।

इसके अलावा आज के जो मुद्दे हैं वह यह हैं कि कल के राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने यह माना है कि देहरादून अन्तरिम राजधानी है तो जब देहरादून अन्तरिम राजधानी है तो जो आज निर्माण कार्य चल रहे हैं एक–एक ईंट जो इस राजधानी में लग रही है, साज–सज्जा में लग रही है वह जनता की गाढ़ी कमाई की है। यह अत्यन्त लोकमहत्व और अविलम्बनीय प्रश्न है। इस पर चर्चा कराई जाए। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो केवल शेर सुनकर क्या करेंगे।

किस लिए आए थे, क्या कर चले,
तोहमत–ए–चन्द अपने जिम्मे घर चले।

डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मैं बहुत बधाई देती हूं, पहली बार चुनकर माननीय सदस्य श्री निजामुद्दीन आए हैं नियम 56 के अन्तर्गत राजधानी के प्रकरण पर उन्होंने कार्य स्थगन प्रस्ताव उठाया है। मैं उन्हें राय दूंगी कि यह कार्य स्थगन प्रस्ताव में नहीं आता है। राजधानी बनाने में खर्चा किया गया है तो राजधानी बनाने की मंशा का क्या होगा? प्रश्न उत्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किन्तु यह प्रश्न जनभावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है इस पर निर्णय जनभावनाओं के अनुरुप होगा। अभी यह प्रश्न विचाराधीन है। इस पर जनमत तैयार किया जायेगा। आपके पूज्य पिता जी सन् 1974 में चुनकर आए थे कई बार सरकार में भी रहें। हमें बड़ी प्रसन्नता है हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे ज्यादा नौजवान इस सदन में आप अपने क्षेत्र से जीत कर आए हैं। मैंने इनसे कहा था कि शेर पढ़कर सुनाइयेगा।

मान्यवर, सरकारी धन का अपव्यय न हो इन तमाम प्रश्नों का उत्तर सदन देगा।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की सभी सूचनाओं को मैं अग्राह्य करता हूं।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तरांचल विनियोग (2001–2002 का अनुपूरक) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का चौदहवां अधिनियम बन गया।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 मार्च, 2002 की बैठक में दिनांक 19 मार्च, 2002 के उपवेशन के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

मार्च, 2002 मंगलवार, 19 (1) धन्यवाद के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा।

3.30 बजे अपराहन्

(2) (क) वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतीकरण।

4.00 बजे अपराहन्

(ख) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, नियम–300, 301 नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, नियम–300, 301 की सूचना मैं कल फिर ले लूंगा। आप लिखित रूप में पुनः दे दें।

अब हम उठते हैं, 3 बजे तक के लिए

(सदन 1 बजकर 20 मिनट पर भोजनावकाश के लिए स्थगित हुआ)

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 3 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, "यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2002 को दिये गए अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।"

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, अभी जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है वह सरकार का सांकेतिक दस्तावेज है और यह मेरा सौभाग्य है कि इस प्रथम निर्वाचित विधानसभा के नेता एक बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी, विकास व समाजवाद के पुरोधा, संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता, स्वतंत्रता–संग्राम सेनानी हमारे नेता हैं और इस राज्य की प्रथम नव–गठित विधानसभा के मुख्यमंत्री के रूप में विकास पुरूष नारायण दत्त तिवारी जी का मुख्यमंत्री होना शुभ संकेत है। हमें विश्वास है कि नारायण दत्त जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जन–आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी और हमारी सरकार का यह उद्देश्य है कि हम प्रशासन में जवाबदेही और स्वच्छता रखें। यह हमारी सरकार का उद्देश्य है, कि लोकपाल की व्यवस्था को 6 माह के अन्दर प्रभावी बनाने का निर्णय लिया है।

मान्यवर, जन–आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखण्ड का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा जाए। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो भी हमारे उत्तराखण्ड के शहीद हैं उनके नाम पर कहीं न कहीं कोई सड़क और अन्य चीजों का नामकरण कराया जाए और हमारे शहीदों की शहादत से जो आज उत्तराखण्ड राज्य प्राप्त हुआ है उन्हें नत–मस्तक कर सकें। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 3 वर्ष के अन्दर हम पुर्नगठन का कार्य करेंगे क्योंकि यह पूरा नहीं हुआ है। उसमें जो पिछली सरकार है, उसमें अभी तक पूर्णतः कार्य नहीं कर पाई और हमारा यह भी प्रयास है कि जो हमारे प्रशासनिक खर्चे हैं उसमें यथासम्भव मितव्ययिता और पारदर्शिता के प्रयास किए जाएं। हमारी सरकार को बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था इस प्रदेश के अन्दर मिली है, घाटे का प्रदेश हमको मिला है। हम इस बात के लिए तो प्रशंसा करते हैं कि हमें पृथक पर्वत राज्य का दर्जा और 500 करोड़ रुपए भी मिले लेकिन अभी भी हम केन्द्र–सरकार से एक विशेष पैकेज को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयासरत् रहें। हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण निधि, श्रमजीवी पत्रकारों को आवास देने का फैसला लिया है, वह हमारी सरकार करेगी। आज जो मुख्य समस्या है उसमें सरकारी तंत्र की समस्या बराबर बढ़ती जा रही है, उनके निदान के लिए जो सुधार की आवश्यकता है उसके लिए सरकार कार्यवाही करेगी। हमारी सरकार ने जो इस प्रदेश में रहने वाले गोरखा समुदाय के लोग हैं उनको पिछड़े वर्ग में सम्मिलित करने के लिए सार्थक प्रयास करने का निर्णय है।

मान्यवर, इसके साथ–साथ जो हमारे बंगाली समुदाय के विस्थापित हैं उनके लिए भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का प्रयास हम केन्द्र सरकार से करेंगे। हमारे उत्तरांचल में बहुत बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक रहते हैं, उनके कल्याण के लिए सैनिक कल्याण परिषद् का गठन शीघ्र ही किया जायेगा और प्रदेश में सैनिक विश्राम गृहों की व्यवस्था की जायेगी। पूरा पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित क्षेत्र है। इसके लिए राज्य आपदा कोष की स्थापना की जायेगी। ताकि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निपटा जा सके। हमारे यहां पर जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको परिपक्व बनाने की योजना है पूरे प्रदेश में जो एक जरूरत महसूस की जा रही थी, हमारी सरकार ने इस बात का भरोसा दिलाया कि प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर उसे क्रियाशील किया जायेगा। हज कमेटी का गठन भी शीघ्र किया जायेगा और हज भवन का भी निर्माण किया जायेगा। हमारे यहां जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी सम्भावनाएं पर्यटन की है। चाहे तीर्थ से सम्बन्धित पर्यटन हो, चाहे साहसिक पर्यटन हो सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने का काम करेगी।

मान्यवर, हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि इस प्रदेश के अन्दर जो उद्योग मृतप्राय हो गये हैं उनके पुनरूत्थान के लिए सरकार प्रयास करेगी। इसके लिए औद्योगिक विकास बोर्ड का गठन किया जायेगा। प्रदूषण बोर्ड का भी गठन हमारी सरकार करेगी। हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा भागवान क्षेत्र है। जड़ी–बूटी, लीसा, रिंगाल आदि पर आधरित लघु उद्योगों को सरकार बढ़ावा देगी। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान समय से हो। सरकार की नीति सहकारिता को बढ़ावा देने की है। हमारी नीति है कि पूरे राज्य में राजीव गांधी नवोदित विद्यालय प्रत्येक जनपद में खोले जाएं। शिक्षकों को केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सके। सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। हमारी यह भी नीति है कि हम तीन महीने के अंदर स्वास्थ्य नीति की घोषणा कर दें। हम प्रत्येक तहसील स्तर पर अपने अस्पतालों का निर्माण करेंगे। पेजयल की समस्या के निदान के लिए हमारी सरकार योजना बनाकर इसका निदान करेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस प्रदेश को विद्युत प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि विद्युत उत्पादन जो प्रतिवर्ष 500 मेगावाट है, हम 5 वर्ष में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन का लक्ष्य है और इसके साथ–साथ जो हमारी परियोजनाएं रूकी हुई हैं–मनेरी भाली, लखवाड़ व्यासी जो रूक गयी हैं, उनको पुनः संचालित किया जायेगा, यह हमारी सरकार का प्रयास रहेगा। केन्द्र ने जो रेल चलाने का जो निर्णय लिया है, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े, इस बारे में हमारी सरकार काम करेगी। पर्यटन को बढ़ावा मिले, यह हमारी सरकार का प्रयास रहेगा। पूरे क्षेत्र में वायुयान का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। परिवहन निगम के क्षेत्र में अभी तक उत्तर प्रदेश के माध्यम से चल रहा है। हमारी नीति रहेगी कि हम अपने परिवहन निगम को बनाकर अपने क्षेत्र में कार्य कर सकें। प्रधानमंत्री रोजगार से जो पैसा मिलता है। उससे हम अधिक से अधिक अपनी कार्यकुशलता को बढ़ायें। सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त बनाने का जो फैसला लिया है। इसमें हमारी जो जवाबदेही होगी। वह ज्यादा पारदर्शी होगी। मान्यवर, हमारी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है, जो भी काम हो उसमें पारदर्शिता होगी। पिछले 16 माह की गल्तियां थी उनको दूर करने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है।

*श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार का नीतिगत कार्यक्रम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है। मैं यहां पर इस उत्तरांचल राज्य में, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक अति पिछड़े क्षेत्र राठ से यहाँ आया हूँ। यहाँ की चकाचौंध को देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मान्यवर, राज्यपाल का भाषण एक रूटीन बन गया है, लेकिन इस विधान सभा में सम्मानित राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उस पर विश्वास करने लायक महत्पवूर्ण बातें हैं।

मान्यवर, मेरे हिसाब से विकास का पर्यायवाची है जो हमारा जीवन स्तर है वह अच्छा होना चाहिए, हमारी सरकार इस चीज को अच्छी तरह जानती है। सर्वप्रथम मैं सरकार के इस कार्य को एक उपलब्धता बताऊँगा कि सरकार ने उत्तरांचल से उत्तराखण्ड नाम देने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दिया है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी यह माननीय सदस्य का मेडन स्पीच है, जैसा हम सहयोग कर रहे हैं वैसा ही आप भी सहयोग करें।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, गल्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक जानबूझकर और दूसरी अपने आप हो जाती है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह गल्ती नहीं थी वह संवैधानिक मामला था।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, मैं जब महाराष्ट्र में रहता था तो हम कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश के हैं तो लोग कहते थे कि पूर्वीया हो, अगर हम कहते थे कि हम गढ़वाल के हैं तो कहते थे कि गोरखाली होगा। आज हमें एक पहचान मिल रही है कि हम उत्तराखण्डी हैं, इस पर हमें गर्व है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने तात्कालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक पैकेज के लिए केन्द्र सरकार से सतत् प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं, उन्हें जारी रखा जायेगा, भविष्य में संबंधित मंत्रालय से अपेक्षा करेंगे। जो कि हमें यह विदित हुआ है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। सभी नये हैं इसमें क्या–क्या खामियां हैं सब को बताया जाय। हमको यह लगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से समस्यायें समाप्त हो गई हैं। हमें केन्द्र से सहायता मिलेगी और हम सब मिलकर कार्य करेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष जी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों जैसे हमारे नीतिगत प्रपत्र में कहा गया है कि शिक्षा रोजगारपरक हो। मैं जहाँ भी गया खास कर युवाओं द्वारा यही कहा गया कि हमें रोजगार चाहिए, अगर हमारी शिक्षा रोजगारपरक बन जाय तो निश्चित रूप से उत्तरांचल कर भविष्य अच्छा होगा। खेलों को रोजगारपरक बनाया जाय।

हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि "खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नबाब," खेलों में अच्छी सम्भावनायें हैं, हमारी सरकार इस ओर एक ठोस कदम उठा रही है। मैं इससे पूरे सदन को वाकिफ कराना चाहता हूँ। सम्मानित अध्यक्ष जी हमारे प्रपत्र में कहा गया कि मार्गों के निर्माण में गुणवत्ता लाने के लिए विभाग को सक्षम

और चुस्त दुरूस्त बनाना है तथा उसमें जबावदेही लाने के लिए ध्यान दिया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि स्थानीय वित्तीय निर्माण संस्थाओं को इस दृष्टिकोण से सक्षम बनाया जाय। मैं इस नीति का बहुत स्वागत करता हूँ और इसमें मेरा एक विचार है कि अगर कोआपरेटिव वेस पर छोटी–छोटी संस्थायें बनायी जायें और ठेकेदारी प्रथाओं को अलग–अलग भिन्न–2 संस्थाओं को उचित काम दिया जाये नियम शिथिल करके काम दिया जाय, इससे रोजगार की हमारी काफी समस्या हल हो सकती है और निश्चित तौर से यह एक मील का पत्थर साबित होगा।

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कि बताया कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य सैक्टर, केन्द्रीय संस्थानों तथा निजी सैक्टर के विकास कर्ताओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 500 मेगावाट और पाँच वर्ष में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करेंगे। महोदय, मुझे विश्वास है कि ऐसा करके राज्य को नये अवसर प्रदान होंगे। आज के आधुनिक युग में विकास के लिए आवश्यक मूल–भूत ढाँचा प्रथम नम्बर पर आता है। मेरा विश्वास है जो उपलब्धि हम प्राप्त करेगें। इसके अलावा सरकार की नीति यह बहुत अच्छी है कि प्रत्येक गांव को विद्युत से जोड़ा जायेगा।

महोदय, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार की जो सोच है कि तीन महीने में स्वास्थ्य नीति बनाई जायेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक काम के लिए सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन इसके साथ ही हर जिला स्तर पर बेस हास्पिटल और 50 बैड का तहसील स्तर पर किया जाए। मैं इसका स्वागत करता हूँ, इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि तहसील अगर 100 कि0मी0 दूर है तो उस तहसील में 50 बैड का हास्पिटल ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में पहले ही कहा जा चुका है कि रोजगारपरक शिक्षा बनाने का हमारी सरकार ने आश्वासन दिया है।

महोदय, दुग्ध विकास के क्षेत्र में महिला डेरी को प्रधानता देने का सरकार ने वायदा किया है। चूँकि यह महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है। महिलाओं ने आज तक इस दुग्ध उत्पादन को सम्भाला है। निश्चित तौर पर उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए वे इस विद्या को आगे बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा भेंड पालन इकाई के सम्बन्ध में कहा गया है कि इसे खोला जायेगा। महोदय, निश्चित तौर पर मैं यह समझता हूँ कि विकास के लिए उत्पादकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है तभी हमारे उत्तराखण्ड का विकास हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(तालियां)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव के अन्त में मेरा निवेदन है निम्नलिखित को जोड़ा जाए :–

किन्तु खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया :–

1. राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने;

2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने;

मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन संशोधन को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इन्हें पढ़ा हुआ माना जाता है। (संशोधन पढ़े हुए माने गये)

(कृपया अभिभाषण के संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ 42–59)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

यह जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है। जैसा मुझे बताया गया कि अभिभाषण की बड़ी तैयारियां चल रही हैं, 10–10 घण्टे कैबिनेट की बैठकें चल रही हैं और आप जानते हैं कि नेता सदन प्रत्येक विषय के बड़े ज्ञाता हैं तथा उत्तरांचल के विकास के लिए उनकी कुछ निश्चित धारणाऐं भी हैं तो मुझे लगा कि 10–10 घण्टे बैठकें चल रहीं हैं, माननीय नेता सदन विकास के बारे में योजनाएं बनाते रहते हैं, तो निश्चित ही मुझे यह आशा थी कि इस बार का जो अभिभाषण होगा। शायद उनके व्यक्तित्व की इसमें कोई झलक होगी कि अभिभाषण पढ़ते ही जनसामान्य को यह लगेगा कि कुछ नया होगा। जैसाकि माननीय नेता सदन ने कहा कि मैं कोई छू मन्तर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके व्यक्तित्व के हिसाब से वह झलक देखने को नहीं मिलती है। इसके पढ़ने के बाद इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक यह अनुभव करता है कि वास्तव में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रजातंत्र में परिवर्तन के लिए वोट दिया जाता है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अभिभाषण के अन्दर एक तो जिन मुद्दों को लेकर के यह परिवर्तन हुआ है

मान्यवर, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके बाद हमारे सत्ता पक्ष के लोग कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी भी कुछ करने की मंशा है। मान्यवर, सभी पार्टियां चुनाव में कुछ घोषणायें करती हैं और उन घोषणाओं को जनता की ओर आकर्षित करते हैं कि हम ये–ये चीजें पूरा करेंगे। मान्यवर, मुझे याद है उत्तरांचल के अन्दर हमारे प्रतिपक्ष ने बहुत जोर–जोर से कहा कि हम 24 घण्टे के अन्दर अपने विकल्पधारियों को मुक्त कर देंगे। लोगों को लगता था कि शायद विकल्पधारी चले जायेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभिभाषण के अन्दर वह सारी बातें छुपा दी गयीं जो चुनाव के समय घोषणा–पत्र में की थी। आपने कहा था कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उसमें कितने राजकीय क्षेत्र में, कितने सरकारी क्षेत्र में, कितने गैर–सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करायेंगे। यह एक बड़ा विषय है जो गोलमोल ढंग से प्रस्तुत कर दिया गया है। चुनाव के अन्दर जैसी घोषणा की गई थी, वह यहाँ नहीं की गई है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कृपया आप बैठ जायें। माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपूरक अनुदान पेश करेंगे। उसके बाद आपका भाषण जारी रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान को प्रस्तुत करता हूँ।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, रोजगार के बारे में मैंने कहा, ऐसे ही घोषणा–पत्र में और जगह–जगह भाषणों में सत्ता–दल की ओर से उस समय कहा गया कि महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण नौकरियों में देंगे। हमने भी इस सम्बन्ध में कहा और अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया था कि महिलाओं को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए लेकिन आज अभिभाषण के अन्दर ऐसा लगता है उत्तरांचल में इतनी महिला शक्ति है, सारे उत्तरांचल में हम सब जानते हैं कि महिलाओं का कितना योगदान है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि यह भाषण कहीं महिलाओं के बीच, हमारे समाज के बीच जाएगा तो वे समझेंगी कि हमें ठगा गया है। हमारा अनुरोध है कि वर्तमान सरकार को इस ओर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए। 30 प्रतिशत न हो तो कम से कम जो हमने कहा था 20 प्रतिशत वह तो लागू हो।

मान्यवर, नेता सदन जानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसी है आपने केन्द्र–सरकार के सहयोग का इसमें वर्णन किया है यह आपकी सदाशयता है। आपने कहा हम अपने खर्चे कम करेंगे। यह खर्चे आप कैसे काम करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूँ। क्या मंत्रिमंडल को कुछ कम कर देंगे या फिर कुछ और बढ़ाकर कम कर देंगे? या फिर अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों से कहेंगे कि अमृता जी की तरह बिना वेतन के कार्य करें। कौन–सा तरीका है, वह तरीका सामने आना चाहिए। आपने मान्यवर, विधान परिषद् का जिक्र नहीं किया यह आपकी सूझबूझ का परिचय है। और मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि ऐसा विषय नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारे राज्य के लिए नुकसानदेह है।

महोदय, आपने कहा कि हम आरक्षण, प्रशासन सुधारेंगे, लोकायुक्त नियुक्त करेंगे और लोकपाल की भी बात आपने कही लेकिन मैं विशेषकर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें कहीं पर भी राज्य–तंत्र के अन्दर मैं जानता हूं कि जैसे हमारे माननीय नेता कह रहे थे कि पिछले 54 साल से जिस प्रकार से आज राज्य–तंत्र के अन्दर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो गई हैं उससे समाज पूरी तरह से त्रस्त है जिस प्रकार यह सारा भ्रष्टाचार है जिसकी जितनी चर्चाएं होती हैं आखिर यह राज्यपाल का अभिभाषण है और वह ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिया गया कि सभी की धारणाऐं अच्छी हैं, कल्पनाएं अच्छी हैं, किन्तु इस अभिभाषण में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की कल्पना का जिक्र नहीं किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि विशेषकर अपने मंत्रिमण्डल के अन्तर्द्वन्द्व से उनको सुनने से ही फुर्सत नहीं है और उनकी दूरदृष्टि में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है। कानून–व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ नहीं बोलूंगा। मान्यवर, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि देहरादून में पिछले 3 महीने के अन्दर ऐसे दुर्दान्त लोगों

को बन्द किया गया। पहले भी वही पुलिस थी लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एकदम ऐसी घटनाएँ बढ़ती गईं कि अब हत्यायें बढ़ गयी।

मान्यवर, पुलिस और प्रशासन की जो पकड़ इन असमाजिक तत्वों पर होनी चाहिए, वह लक्षित नहीं हो रही है। लोग मुझसे कहा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात के दो–दो बजे तक मीटिंग लेते रहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारा प्रशासन रात को सजग रहता है उसी प्रकार दिन में भी रहना चाहिए। प्रशासन की जो ढील है, उस पर सुधार होना चाहिए। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है चूँकि हमारा नया राज्य बना है, यहाँ के लोगों को हमसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं, यह अपेक्षाएं तभी पूरी हो सकती हैं, जब हमारा प्रशासन उसके लिए सजग होगा। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में अभिभाषण में कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए था जिससे यह लगता कि इस प्रदेश को पूरे भारत वर्ष में हम एक आदर्श प्रदेश बनाएंगे, इसका कोई प्रमाण सामने आना चाहिए था। उत्तरांचल के लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मैं समझता हूं कि अभिभाषण में ऐसा कुछ होना चाहिए था, जिससे यहां की जनता को भी लगता कि हम ऐसे महान प्रदेश में रहते हैं लेकिन इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

इस प्रदेश को गंगा जैसा स्वच्छ और निर्मल बनाने में हम आपको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। यह पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी तरफ से तो ऐसी कोई बात इसमें आनी ही चाहिए थी कि इस प्रदेश को हम ईमानदार प्रदेश बनाएंगे, लेकिन ऐसा दृश्य इसमें दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर, सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि इस प्रदेश को हम स्वावलम्बी प्रदेश बनाएंगे। पिछली सरकार ने यह तय किया था और उस दिशा में हमने प्रयास भी किया था। विगत 30 वर्षों से टिहरी की जो समस्या सरकार के सामने थी, उसके समाधान की दिशा में हम बहुत आगे बढ़ गए। हमने कहा था कि टिहरी बांध हम बनाएंगे, हमने उसको पूरा करके दिखाया। इसका कारण यह नहीं है कि हमारे अन्दर बहुत ताकत है लेकिन हमारे अन्दर एक इच्छा शक्ति थी कि इस प्रदेश को हम ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे। आपने तीन हजार मेगावाट का लक्ष्य अगले 5 साल के लिए रखा है, यह बहुत अच्छा है। अगले 10–15 वर्षों में यह निश्चित ही बढ़ जाएगा।

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित किया जाये। आपने कहा कि हम केन्द्र सरकार से पैसा मांगेंगे। मेरा कहना है कि केन्द्र की ओर बार–बार देखने से काम चलने वाला नहीं है। मुझे ध्यान है कि पिछली बार हम लोगों ने प्रयास करके पहले साल के मुकाबले राजस्व को बढ़ाकर 232% कर दिया था। ऐसा लगता है कि आपके अधिकारियों और सहयोगियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया केवल यह कह कर कि केन्द्र से सहयोग लेंगे। केन्द्र सरकार जिसने इस प्रदेश को बनाया वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी, उनका उत्तरांचल से अनुरोध है लेकिन इसके लिए हम भी अपने स्तर से प्रयास करें। हम किस ढंग से अपनी आय बढ़ायेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

स्थानीय निकायों का क्या होगा? नियत समय सीमा के अन्दर पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। यह ऐसी समस्या है जिसका वर्णन होना चाहिए था। इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। पिछली बार हमने सर्वसम्मति से चुनाव टाले थे क्योंकि विधान सभा

चुनाव नजदीक थे। अभी मैं टिहरी की समस्या के बारे में बोल रहा था। मेरा अनुरोध है कि इसका वर्णन होना चाहिए कि बरसात में टिहरी के लोगों के डूबने की नौबत न आने पाये। इस अभिभाषण में शिक्षा मित्र और शिक्षा बंधु के बारे में आना चाहिए था। हमने नौजवान, बेरोजगार लोगों से कहा था कि आप कम वेतन पर फिलहाल काम करें, आगे चलकर आपको नियमित कर दिया जायेगा लेकिन, आज वे अध्यापक सड़कों पर उतर आये हैं। इस बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मान्यवर, हजारों शिक्षक बन्धु एवं शिक्षक मित्र सड़कों पर आ गये हैं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। शिक्षक बंधु और शिक्षक मित्र बकायदा नौकरी कर रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है, रूद्रप्रयाग जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी शिक्षा बंधु एवं शिक्षक मित्रों को बाहर कर दिया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह पीड़ा का प्रश्न है। मान्यवर, आप हमारे गार्जन हैं। ज्यादा शासन स्तर से ही निर्देश दिये जाते हैं, मान्यवर, जो पीड़ा हमारी है, वह आपकी भी है। मैं यह कहना चाहता हूं आप मुख्यमंत्री हैं, आपके निर्देश और माननीय मंत्रिमंडल के निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। यदि आपके निर्देशों का पालन नहीं होता है तो आपको पीड़ा होगी।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

मान्यवर, जब आप इधर थे, तब भी दुःखी थे और जब उधर हैं, अब भी दुःखी हैं। (हंसी)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपने कहा था, हम दो लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन जिनको हमने थोड़ा बहुत रोजगार दिया है, आपने उनको भी निकाल दिया।

*शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, इस तरह का कोई बयान मैंने नहीं दिया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं आपको बधाई दूँगा आप उनको जल्दी से जल्दी नियमित कर दें, लेकिन ये आप कब तक करेंगे। मान्यवर, आपने कहा है अस्पतालों में डाक्टरों की भर्ती कर देंगे, हमने तो अपनी योजना चलायी। मान्यवर, कुछ नहीं तो कम से कम उनको भर्ती किया जाय। मान्यवर, 288 डाक्टरों की भर्ती की गयी। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है उसमें सब मिलजुल कर हल होना चाहिए।

मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि कम से कम शिक्षा विभाग में लोगों को रोजगार दें उसमें बहुत सारी पोस्ट खाली है। मैंने आज प्रश्न का उत्तर पढ़ा तो उसमें नियुक्ति के बारे में बड़ा गोल–मोल उत्तर था, उसमें यह भी नहीं दिया था कि कितनी जगह खाली हैं। आपके उत्तर प्रदेश के साथ कितने राजनैतिक संबंध हैं। हिमांचल प्रदेश में भी आप ही जैसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं वहां से भी आज तक हिस्सा नहीं मिला है। हमने उत्तर प्रदेश से बिजली का पूरा–पूरा हिस्सा ले लिया है, एक सदस्य ने पूछा उसमें शर्तें क्या हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस सारे प्रकरण को हम लोग कैसे आगे बढ़ायें, किस प्रकार समस्याओं को हल करें। आपने तो कह दिया कि तीन साल में

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुनर्गठन के बारे में प्रयास करेंगे क्या प्रयास कर सकते हैं, अभिभाषण के अन्दर यह विषय आना चाहिए था। जो हमने संशोधन किया है वह इसमें आना चाहिए था। सरकार चलाना है तो उसमें स्थायित्व आना चाहिए। अभी तक सत्ता पक्ष के किसी विधायक ने मुख्यमंत्री जी के लिये सीट छोड़ने की बात नहीं कही है। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए कम से कम एक सीट तो सत्ता पक्ष खाली कर दें।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय मंत्रियों द्वारा एक साथ बोलने पर कि हम खाली करने को तैयार हैं) मुझे सुन लीजिए, यह सब अनुभव कर रहे हैं कि उनको तो चुनाव लड़ना नहीं हैं। जल्द से जल्द इसका निर्णय करें जिससे एक स्थायी सरकार चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपना मत और सुझाव व्यक्त करने का मौका दिया है। मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो पढ़ा हुआ माना जाए।

मान्यवर, यह जो पहला हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत हुआ, वह कैसा था, क्या था इसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए था इस पर मैं बाद में आऊँगा। इसके पहले मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ, जैसाकि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा और इस सदन में पहले भी हमारे नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री के लिए माननीय सदस्यों ने अपने बातें कहीं। यह अभिभाषण माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का अभिभाषण है और मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा और जैसी सभी की भावना है। माननीय तिवारी जी का जैसा विशाल व्यक्तित्व है और लम्बा अनुभव है तथा लोकतंत्र में रचे–बसे हैं, पता नहीं क्या–क्या। तो इन सब बातों को लेकर देश की जनता में भी और हम सब में भी आशा की किरण जगी है कि इस नवोदित राज्य का विकास होगा और जनता की आशाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी। हमारे 42 शहीदों ने अपनी सहादत दी, हम लोग 22 साल तक आंदोलन लड़े, हजारों लोगों ने जेलों की यातनाएं सही। इतना त्याग करने के बाद जो राज्य मिला है, उस राज्य की नींव शुरूआत में बढ़ी खराब पड़ी, जनता को बड़ी निराशा हुई, हताशा हुई। यह पहला जो चुनाव हुआ उसमें एक नई सरकार बनी लोगों ने परिवर्तन किया और इस सरकार के मुखिया के रूप में माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी को स्वीकार किया कि वे सरकार का नेतृत्व करें तो स्वाभाविक है कि लोगों को यह आशा जगी कि इस राज्य में वह सभी काम होंगे जिन आशाओं को लेकर राज्य में आंदोलन किया गया, उनकी प्रतिपूर्ति होगी। इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से यह अनुरोध करूंगा कि यह देखने की बात है, यह ऐतिहासिक मौका है। आपके लिए चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो आप किसी काम को छोटा–बड़ा नहीं समझते हैं। हालाँकि आपने हर दायित्व निभाया है उसके सामने यह दायित्व छोटा जरूर है, लेकिन चुनौतियाँ कम नहीं है, ज्यादा हैं। इन चुनौतियों का सामना आप कैसे करेंगे यह आपको तय करना है। आप ही नहीं आपके साथ जो टीम है उसमें कुछ हमारे पुराने साथी हैं, जिन्हें हम दमदमी टकसाल कहते हैं, वह साथी भी हैं। उन साथियों की जिम्मेदारी है। इस राज्य को इस प्रकार चलाना है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों। जिसके लिए हम लोगों ने आन्दोलन किया है, जिसके लिए शहादत दी है।

श्री अध्यक्ष–

श्री काशी सिंह ऐरी कृपा करके आप बैठ जाएं। पहले मद सं0 14 का प्रस्तुतीकरण हो जाए।

वित्तीय वर्ष 2002–2003 के एक भाग के लिए लेखानुदान की प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2002–2003 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा–(जारी)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, चुनौती हम सब के सामने है। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण आप सब ने सुना होगा तब मैंने सदन के बाहर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह तो राजनीतिक भाषण है। हमारे नवगठित राज्य को विकास की ओर बढ़ाने की अपार सम्भावनायें हैं, उसमें अगर हम केवल वादे करेंगे, भाषण देंगे तो काम चलने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहा हूं कि जैसा अभिभाषण का प्रारूप तैयार हुआ उसमें राज्य के नाम को बदलने की बात है। कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें एक भावनात्मक बात होती है, विकास की बात नहीं होती है। लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि नाम के साथ पहचान जुड़ा होता है, उस नाम को आप बदल देंगे तो उसकी पहचान में तो ठेस लगेगी।

मान्यवर, मैं इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ कि शहीदों के सम्मान के लिए भी आपने सारी बातें कहीं। यहाँ तक तो सही है लेकिन उसके बाद बहुत चनौतियाँ हैं। यह तो हमारे स्वाभिमान से जुड़ी बातें हैं जिनको आपने अभी कहा है। परिसम्पत्तियों के बँटवारे के बारे में जो आपकी प्राथमिकता है यह अच्छी बात है, यह आज तक हो जाना चाहिए था पता नहीं किन कारणों से नहीं हो पाया, इस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन परिसम्पत्तियों का बँटवारा हो जाना चाहिए। एक–ढेड़ साल से ज्यादा समय बीत गया है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है यह प्राथमिकता में रहना चाहिए।

वित्तीय प्रबंध भी प्राथमिकता में है, अगर हम वित्तीय प्रबंध नहीं कर पाये तो हम उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पायेंगे, जिनको लेकर हमने आज तक संघर्ष किया है। उसके बाद के अभिभाषण में जो पैरा हैं उन पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि एक लम्बे समय से ढांचा चला आ रहा है। हम उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, कृषि में विकास करेंगे, अलग–अलग मुद्दों को हम अपने पुराने पैटर्न पर लिखते चले जाते हैं तो मान्यवर यह नहीं होना चाहिए। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि हमारी जो प्राथमिकता है वह हमको निश्चित तौर पर बदलनी चाहिए, क्योंकि वह जो पुराना ढर्रा है, जो हम उत्तर प्रदेश में करते रहे हैं उस प्राथमिकता पर भला होने वाला नहीं है। हमारे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, कृषि के क्षेत्र हैं, उन पर दो काम करने पड़ेंगे। एक तो प्राथमिकता हमको बदलनी पड़ेगी कि किस क्षेत्र में हम ज्यादा जोर दें और दूसरा उन क्षेत्रों में जो पुरानी

सोच है उस को बदलनी होगी।

कुछ नया सोचकर नया करना पड़ेगा जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं। मैंने कहा एक तो क्षेत्र के हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होगी ताकि हम उस क्षेत्र में ज्यादा काम करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी काम किया। एक क्षेत्र यह भी हो सकता है कि जिसमें हम सक्षम हैं हमारे पास जो संसाधन हैं, मानव संसाधनों में हमारे पास कोई कमी नहीं है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी न होते हुए भी यह हमारी प्राकृतिक व्यवस्थाओं में असंतुलन रहा है जिनके कारण हम उनका पूरा उपयोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा। आज हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध करें और उस क्षेत्र में ज्यादा काम कर सकें।

पर्यटन का क्षेत्र हो सकता है, डेयरी विकास की बात है, आपके उद्यानों के विकास की बात है या चाय को बढ़ावा देने की बात है जो हमारे यहां जिसके हम एक एकाधिकार के रूप में कर सकते हैं ऐसे बहुत से कार्य हमारे यहां हो सकते हैं। मसलन जिक्र है बे–मौसमी सब्जी, फल पैदा करने का या जैसे उदाहरण के लिए आज यह जमाना आया जो रासायनिक खादों का ज्यादा प्रयोग होने से उससे बहुत ज्यादा फायदे हैं। बागवानी का विकास करते रहें लेकिन वह ठीक है लेकिन उसमें नया क्या करें। माइक्रो लेबल पर जाकर भी उसे हमें करना होगा, ये मैं प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूं। हम अनाज पैदा करें, हमारे यहां प्रति हेक्टेअर या प्रति नाली उत्पादन कम होता है, पहाड़ में, लेकिन उसमें हम कम पैदावार को अगर वैसे पैदा करें कि वह दूसरी जगह न मिले तो वह उपयोगी होगा। तो हमको एक तो क्षेत्र तय करने होंगे कि हमारी प्राथमिकता के क्षेत्र क्या–क्या हैं और उनमें किन कामों के लिए प्राथमिकता देनी है ताकि हम जो कुछ कर रहे हों उसका अधिकतम फायदा हमें मिलें उसकी अधिकतम कीमत हम वसूल कर सकें। पर्यटन हो या उद्योग हो। इलेक्ट्रानिक के सेक्टर में हम आगे जा सकते हैं।

मान्यवर, मैंने सुबह एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था कि लोगों को रोजगार देने के बारे में हमको, इस सदन को, और आपको बहुत गहराई से चिन्तन–मनन करके फैसला करना होगा। हमारे माननीय सदस्य जहां भी गए होंगे, वहां पर एक ही बात सबको सुननी पड़ी होगी कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। हम उत्तर–प्रदेश के विकल्पधारियों को उत्तर–प्रदेश भेज कर यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं। एक तो उनको वापस न भेज कर हम उनके मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, दूसरा, इससे हमारे नौजवानों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। यह विकल्पधारी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। 1200 याचिकाएं तो मेरी जानकारी में भी हैं। ये लोग यहां पर मन लगाकर काम नहीं कर पा रहे हैं। वे आन्दोलन करने और अदालतों के चक्कर लगाने की युक्ति में लगे रहते हैं। इससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है।

बेरोजगारी की समस्या एक बहुत ही जटिल समस्या है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर रहा जाए, यह गलत है। आपने दो लाख नयी नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस विषय में हम ठोस तरीके से क्या करेंगे, यह तय हो जाना चाहिए। हमारे नौजवान आज जिस स्थिति में हैं, उसके बारे में सारी जानकारी आप और हम सबको है और उसको कैसे

दूर करेंगे, यह हम सबकी चिन्ता का विषय है। राज्य आन्दोलन की जब हमने शुरूआत की थी तो उस वक्त भी एक बात लोगों के मन में थी कि हमारे यहां के रोजगारों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। उसमें सरकारी नौकरियों से लेकर जो संस्थान यहां पर हैं, उनके उपयोग तथा उनके दोहन में भी हमारे यहां के लोगों को मौका मिले और दूसरा, हमारा विकास, हमारी तरह से हो। ये दो बातें प्रमुखता से थीं। राज्य बनने के इतने समय बाद भी हम बेरोजगारों की समस्या के बारे में चिन्तन-मनन नहीं कर सके हैं। दुर्भाग्य की बात है। अगर इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो, इससे हमारे नौजवानों में बहुत बड़ी कुण्ठा घर कर जाएगी। जिसको दूर करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा।

मान्यवर, विकास के बारे में भी राज्य बनने के बाद विकास के नाम पर जो कुछ हुआ, उससे इस प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई। लोग कहने लगे कि क्या इसीलिए हमने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। लोगों का जल्दी ही मोहभंग हो गया। उस विकास को हम कैसे करें। एक तो जो हमें शासन स्तर पर विकास करना है, उसको सही रूप में करें हमारे गांवों में विभिन्न एजेन्सियों के द्वारा जो विकास कार्य हो रहे हैं चाहे वे विधायक निधि के माध्यम से हो रहे हों, उसके लिए हमको बैठकर, विचार करके ऐसा कोई तरीका निकालना होगा ताकि जो बंदरबांट हो रही है, उसे बन्द किया जा सके। उसमें यह हो सकता है कि गांव की समस्याओं की एक इन्वेन्ट्री बन जाये। जैसे पीने के पानी की आवश्यकता है, खड़न्जा की आवश्यकता है, विद्यालय की आवश्यकता है, पंचायत भवन की आवश्यकता है इसकी एक सूची बन जाये। पूरे गांव की चौपाल में, सभा में इस पर विचार कर लिया जाये कि सांसद कोटे से यह काम होगा, विधायक कोटे से यह काम होगा।

यदि ऐसा हम कर सकें तो मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार बीच में घुस गया है, उसे रोका जा सकेगा। इसमें सभी लोगों के सुझाव लिये जायें कि कैसे इसमें लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है? तीन चीजें हमें करनी चाहिए। एक जो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं, उनको नये सिरे से परिभाषित करें। दूसरा उन क्षेत्रों में किन-किन गतिविधियों में हमको ज्यादा जोर देना है और कौन सी नई गतिविधियां हो सकती हैं जिससे प्रदेश की जनता ज्यादा लाभान्वित हो सके। तीसरा, रोजगार का जो सवाल है उस पर चिन्तन-मनन किया जाये। इस सवाल पर हम सार्थक कार्यवाही करें नहीं तो आने वाले समय में नौजवानों की कुण्ठा बढ़ती जायेगी। जिले से लेकर राज्य स्तर तक हम जो भी प्राथमिकताएं तय करें उसके लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। यह कोशिश हमें करनी चाहिए। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे जो और संशोधन है, उन पर हमारे नये सदस्य बोलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें नये लक्ष्य हासिल करने हैं। राज्य बना, उम्मीदें बढ़ी। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्री बनने पर लोगों ने कहा कि इससे राज्य का विकास होगा। इस राज्य के विकास में हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिन्द।

श्री नारायण पाल-

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी मैंने माननीय कोश्यारी जी को सुना, माननीय काशी सिंह ऐरी जी को सुना, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाला जो समय होगा, अगर हमारी प्रतिबद्धता हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे समाज के लिए सकारात्मक रहेगी तो आने वाला समय हमारे राज्य के लिए बहुत अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष जी मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना तो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सी बातें जो कही गयी हैं, उससे एक उम्मीद की किरण जगी। यह बहुत अच्छी बात है और मैं माननीय नेता सदन और तिवारी साहब के साथ बैठकर, प्रतिपक्ष के नेता श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ बैठकर मैं अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि कनिष्ठ होने के नाते हमें आप लोगों से सीखना चाहिए। आपने समाज के लिए देश के लिए जो काम किये हैं, उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपके सभी बातों से सहमत हों। हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सुनते हैं कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखण्ड कर दिया जाय।

मान्यवर, जब राज्य का गठन हुआ। उस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य सभा में कांग्रेस का बहुमत था, मैं सोचता हूँ हम लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। (भारतीय जनता पार्टी के मा० सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई) मान्यवर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बुक्शा, भोटिया जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने की, रोजगार देने की बात है। माननीय अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ जो बैकलाक है, उसको भी पूरा कर दिया जाय तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मान्यवर, किसी भी पार्टी का जो घोषणा–पत्र होता है उसी के अनुसार क्रियान्वित होता है। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ उत्तरांचल में जो पेयजल की स्थिति है, जो पिछड़े इलाके हैं उनमें पानी की समस्या है। स्वजल परियोजना के माध्यम से जो पानी की व्यवस्था होती तो मैं महसूस करता हूँ स्वजल से जो भी काम हुए हैं, मैं महसूस करता हूं बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। अगर सरकार के माध्यम से यह काम हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होगा।

मान्यवर, आपने कहा कि हमारे जो बंगाली विस्थापित लोग हैं, जिनको अनुसूचित जाति में दर्जा देने की बात है। मैं काफी दिनों से प्रयासरत हूँ। मेरे सामने यह बात आई कि इसका प्रस्ताव करके दिल्ली भेजा गया है, बहुत जानकारी लेने के बाद पता चला कि प्रस्ताव नहीं संकल्प भेजा गया है। यह बात मेरे लिए वाकई सकून की बात है। इसमें हम आपके साथ हैं। बहुत सी बातें हैं मैं सोचता हूँ कहीं न कहीं ऐसी समस्या रही होगी। जो यह इलाका आज भी गरीबी से उपर नहीं उठ पाया है, संसाधनों के अभाव में। मै यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर इसको क्रियान्वित किया जाय तो यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं पहाड़ के नवजवानों की बात कहना चाहता हूँ यहां से नवजवानों का पलायान हो रहा है। मैंने अखबारों में पढा कि "पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी" आज भी मैं देखता हूँ कि जवानों में घोर निराशा है उनको जब तक आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक इसका समाधान नहीं होगा। मैंने देखा कि जो हमारे उद्योगपति हैं वह दूसरे राज्य को पलायन कर रहे हैं, उद्योग पति किसी भी स्टेट का रूट होता है जो आर्थिक रूप से राज्य को समृद्ध करता है। ऐसी क्या परेशानियां हैं कि हमारे यहां से उद्योगपति और व्यापारी पलायन कर रहा है।

मेरी जानकारी में है कि सितारगंज के पास जैल कैम्प में साढ़े तीन हजार एकड़ जमीन है उसमें 230 कैदी है, 300 कर्मचारी और पुलिस कर्मी हैं साढ़े तीन हजार एकड़ जो जमीन है वह उत्तरांचल राज्य की है और 5000 अधिकारी और खेत है जिसमें तीन प्रतिशत लोग उत्तरांचल के हैं बाकी 97 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश के हैं। वह फार्म घाटे में चल रहा है सवा साल के शासन काल में मैं महसूस करता हूँ कि कहीं कोई कमी रह गई। माननीय तिवारी जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसके संरक्षण की आवश्यकता है, जो हमें विरासत में मिला है। हमें उन पर चिन्तन करना होगा। कल मैं अपने कुछ साथियों के साथ बात कर रहा था। जितने अच्छे तरीके से महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण लिखा गया है अगर यह क्रियान्वयन हो जायेगा तो मेरा ख्याल है यह विवाद का विषय रहेगा ही नहीं। हमारी जो प्रतिबद्धता है हमारे राज्य की जो प्रतिबद्धता है, जो जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से निवर्हन करेंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। हमारे भाई श्री निजामुद्दीन जी ने अभी बताया कि बहुत घटिया काम हुआ है जो विधान सभा के अन्दर हुआ है तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल आदि में अच्छा काम हुआ होगा।

मान्यवर, मैंने देखा कि यहां मुझे जो सामग्री पैड किताब आदि मिली है उसके कागज देखे तो मुझे ऐसा लगा कि सुधार की उम्मीद कम ही है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप हमारे नेता सदन इसलिए हैं हम आपसे उम्मीद करते हैं कि छोटी–छोटी बातों का ध्यान देना पड़ेगा। मार्च का महीना चल रहा है जो अधिकारी है वह मस्टररोल की तैयारी कर रहे हैं। काम होगा नहीं। मैंने तिवारी जी से कहा कि ठेका होता नहीं है काम पहले शुरू कर दिया जाता है बड़ी अजीब बात है। मैंने अपने क्षेत्र में कहा कि हम लोग ऐसे गलत कामों के लिए सौ प्रतिशत संघर्ष करेंगे अगर ऐसी घटना होती है तो आप हमें बतायें। हरिद्वार जो हमारा जिला है उसमें मैं देखता हूँ पुलिस की भर्ती का मामला है अन्य दूसरे मामले हैं इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत इन जिलों के लोगों को परेशानी होती है इसको जानने की जरूरत हैं। बाकी बहुत सारी बातें सदन में चलती रहेगी मैं तो आज पहली या दूसरी बार बोल रहा हूँ। मैं तो माननीय तिवारी जी के सामने बोलने के लिए मैं झिझकता हूँ। आने वाले समय में अपने देश के लिए अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर इस राज्य की समृद्धि और खुशहाली के लिए संघर्ष करता रहूँगा। जो राज्यपाल जी का अभिभाषण है मुझे इसमें शंका है, लेकिन इस राज्य के सुखद भविष्य के लिए कल्पना करता हू और उम्मीद करता हूँ कि इसकी उन्नति के लिए संघर्ष करुंगा। जयहिन्द।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा करने का मौका दिया। मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल के निर्माण में एक साल चार महीने बीत चुके हैं लेकिन जिन लोगों ने उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी वह इसका स्वागत करने में हिचक रहे हैं। उत्तराखण्ड के सवाल पर शब्द की तब्दीली के सवाल पर मैं विशेष रूप से माननीय नेता सदन का आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तरांचल के शब्द के स्थान पर उत्तराखण्ड शब्द जोड़ने का जो प्रस्ताव आपने रखा मैं उसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर जिन लोगों ने राज्य की स्थापना के लिए बलिदान दिया चाहे वह खटीमा हो, मंसूरी हो, मुजफ्फरनगर में टिहरी

में बाटाघाट, गोपेश्वर में कोटद्वार में या फिर आन्दोलन में श्रमजीवी मोटर मालिकों के परिवार हों उन तमाम लोगों ने जो बलिदान दिया है। वे आज निराश हैं, नागरिक दुःखी हैं।

मान्यवर, आन्दोदन में श्रमजीवी मोटर मालिकों के परिवार न्याय न मिलने के कारण निराश तो हैं ही, आन्दोलनकारी भी दुःखी हैं।

मान्यवर, यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उस हिंसक दौर, अमानवीय अत्याचार के दोषी क्या इसलिए दण्डित होने से बच जायेंगे, क्योंकि एक राजनैतिक फैसला संसद द्वारा कर दिया गया? क्या जघन्य अपराधों की ऐसी लीपा पोती को न्याय कहा जा सकता है? मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस संबंध में घोषणाएं की गई थी, लेकिन उत्तरांचल की निवर्तमान सरकार के एक साल चार माह के शासन काल के बाद भी स्थितियां नहीं बदली हैं। आन्दोलन में क्षतिग्रस्त वाहन के श्रमजीवी मालिकों आदि को मुआवजा देने में असमर्थ रही। अतः लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है।

मान्यवर, निर्वतमान सरकार ने उपरोक्त बातों को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि वह आन्दोलन से उपजी सरकार नहीं थी। मान्यवर, यह राज्य पिछड़ा भी है तो वनाच्छादित भी है, सीमान्त भी है और पर्वतीय भी है। जहां तक यहां के अनुसूचित जन जाति आवासित क्षेत्र न होने की बात है तो यह उल्लेखनीय है कि इस राज्य के निर्माण से सोलह वर्ष पूर्व ही यहां के सभी निवासियों के लिए इंजीनियरिंग और डाक्टरी क्रमशः 6 प्रतिशत व साढ़े चार प्रतिशत आरक्षण दिया गया था अर्थात् पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र को विशेष दर्जे के रूप में मान्यता दे रखी थी। मान्यवर, मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विनाशकारी भूकम्प से त्रस्त राहत से छूटे हुए, नैलचामी, ग्यारह गांव, हिन्दाव, मिलंग, कोटी फैगुल और बाल गंगा घाटी के हजारों परिवारों को राहत दिलाने के संदर्भ में कोई दृष्टि नहीं डाली गई।

मान्यवर, आज भी मानव जाति की उपेक्षा के कारण जीवन लीला समाप्ति पर है, पशुधन का विनाश, टूटे फूटे भवनों व जर्जर मानव के प्रति निवर्तमान सरकार की उपेक्षा के कारण जनता दुःखी है।

निवर्तमान सरकार ने राहत हेतु 5 श्रेणियों में पीड़ितों को विभाजित करवाया। 1, 2, 3, श्रेणी वालों को मूक दर्शक बनवाया। श्रेणी 4 वालों को मात्र 10 टिन की चादरें देकर इतिश्री समझी। अलबत्ता श्रेणी 5 में एक कमरा मात्र बनाने की मदद की।

क्या वर्तमान उन जर्जर भवनों या जो सर्वे के समय दरार युक्त थे, लेकिन अब कितने ही मकान धराशयी हो चुके हैं व दरारें लगातार चौड़ी होती जा रहीं हैं। जिससे मकानों का गिरना जारी है। इन तमाम लोगों को आज तक कोई राहत देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो मकान गिर रहे हैं और ध्वस्त हो रहे हैं, भूकम्प की मार से त्रस्त लोगों को जब प्रताड़ित किया गया तो जनाक्रोश लगातार फूट रहा है। मान्यवर मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में यातायात और पर्यटन ही पर्वतीय क्षेत्र की विकास की रेखाएं बन सकती हैं, लेकिन खेद है कि लोक निर्माण विभाग को भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरण 12 वर्षों से लम्बित पड़े हैं, उससे पूरे प्रदेश का

विकास लम्बित पड़ा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज अगर सरकार की दृष्टि पूरे उत्तरांचल के विकास की नीति सही है तो नियत भी साफ होनी चाहिए। आज यह आश्चर्य की बात है कि राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 16 माह बीत जाने पर भी शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है। मुझे खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस पर कोई उल्लेखनीय दृष्टि नहीं डाली गई, यहां तक कि शिक्षा विभाग के प्रमुख शिक्षा निदेशक के पद का भी औपचारिक सृजन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस विभाग में अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप-शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर के पदों का सृजन यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक है तभी शिक्षा को गतिशील बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में राज्य के इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के 345 पद रिक्त हैं, हाईस्कूल में प्रधानाध्यापकों के 222, प्रवक्ताओं के 2733, सहायक अध्यापकों के 1482, जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापकों के 1383 एवं सहायक अध्यापकों के 1110, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 973 एवं सहायक अध्यापकों के 4626 पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है इसकी परिकल्पना आप सभी जानते होंगे। मुझे खेद है कि अभी तक उत्तरांचल शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। एक ओर विभागों में जहां पद रिक्त हैं तो बेरोजगारों की कतारें सड़कों पर लगातार भटक रही हैं और इसलिए मुझे कहना है कि माध्यमिक विद्यालयों व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मुझे खेद है कि ये तमाम मसले लम्बित पड़े हुए हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम जो कि करोड़ों का निर्माण कार्य करवा कर करीब 35 करोड़ का लाभांश उत्तर प्रदेश के खजाने में जमा कर रही है और उस ओर राज्यपाल के अभिभाषण में उसको रोकने की कोई व्यवस्था नीति नहीं झलकती। इसलिए उत्तर-प्रदेश में जो निर्माण निगम पूरे उत्तरांचल से 35 करोड़ रुपए का लाभांश उत्तर-प्रदेश के खजाने में जमा कर रहा है अगर मौजूदा सरकार, माननीय तिवारी जी जो हमारे सदन के माननीय नेता हैं उनके पैसे को रोक सकते हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा यह कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण में छंटनीशुदा कर्मचारियों का कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, हमें दुःख है कि पिछली सरकार लोक निर्माण विभाग, वन निगम आदि विभागों के छंटनीशुदा कर्मचारियों को समायोजित करने में नाकाम रही और वर्तमान सरकार की भी कोई दृष्टि इस ओर नहीं झलकती। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि उत्तरांचल जैसे छोटे राज्य में छोटी इकाइयों को गठित करने की आवश्यकता थी तथा इनके प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन करना भी बहुत जरूरी था। मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। मुझे आशा है कि पूज्य महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य को पूरा करने का काम हमारी वर्तमान सरकार अवश्य करेगी। मान्यवर, मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं झलकती। आज प्रदेश के अन्दर कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा जहां पर भ्रष्टाचार न हो। निवर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया था, इसको रोका जाना चाहिए। हमारे जो नौजवान डिप्लोमाधारी और बी0एड0 डिग्री धारी हैं, उनको नियुक्त करने के बारे में हमारी सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय

मुख्यमंत्री जी, समस्याओं के समाधान में जिनकी गहरी पकड़ है, जिनकी पैनी दृष्टि है, उनके नेतृत्व में हमारे प्रदेश का विकास निश्चित ही होगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी हमारे विरोधी दल के नेता श्री कोश्यारी जी ने टिहरी के पुनर्वास के बारे में चर्चा की है, लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि भिलंगना घाटी, जहां घनसाली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, पूरी घाटी में ग्रामन्देवल, छोटी तथा पिलखी पिपोला आदि में जो नीचे की घाटी में बसे हुए लोग हैं, उनके खेत और सिंचित भूमि डूब क्षेत्र में आ गयी है और जो असिंचित भूमि है, वह ऊपरी क्षेत्र में है। उनकी जो सिंचित जमीन है, वह यदि डूब क्षेत्र में आ गयी तो पूरे क्षेत्र को डूब क्षेत्र घोषित करने का काम आपके नेतृत्व में होगा, यह मेरा विश्वास है।

मान्यवर, इस प्रदेश का नाम उत्तरांचल के बजाये उत्तराखण्ड रखे जाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।(मेजों की थपथपाहट)

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने कल सरकार की नीतियों का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता को सपनों के महासागर में यह सरकार ले जाना चाहती है। हमारी पिछली सरकार ने उत्तरांचल के आन्दोलन में जो लोग शहीद हुए थे, उनको रोजगार दिया। आज जन उपेक्षा इस बात की है कि जो लोग उत्तरांचल आन्दोलन के दौरान गोली से शहीद हुए, उनके बारे में सरकार कोई नीति बना दे तो यह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभिभाषण में सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ परिसम्पत्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन–कौन से विषय हैं जिन पर वार्ता होनी है क्योंकि मुझे संदेह है कि सरकार अपनी कमियों का घड़ा उत्तर प्रदेश के माथे पर न डाल दे। इसलिए इस बात का स्पष्टीकरण आना चाहिए।

मान्यवर, दो लाख लोगों को रोजगार देने की बात भाषण में तो अच्छी लगती है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार किन–किन क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने जा रही है, इसका उल्लेख भी अभिभाषण में होना चाहिए था। सरकार का कहना है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील है, लेकिन अभिभाषण में इसका उल्लेख न होना सन्देह पैदा करता है। संस्कृत भाषा के बारे में भी अभिभाषण में कुछ न आना यह संदेश दे रहा है कि देवभूमि में सरकार इस भाषा के साथ भेदभाव करने जा रही है। मान्यवर, सरकार ने हज यात्रियों के प्रति तो चिन्ता का इजहार किया है, लेकिन मेरे जनपद में नन्दा देवी यात्रा, जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है, सरकार इसके यात्रियों को क्या सुविधाएं देगी, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रूपकुण्ड तुंगनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि के यात्रियों को सुविधाएं देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अच्छा होता कि सरकार इन तीर्थ स्थलों के यात्रियों को और क्या–क्या सुविधाएं देने वाली है, इसका भी उल्लेख अभिभाषण में होता। जबकि पिछली सरकार ने इन तीर्थ यात्रियों को महत्व दिया था। मैं यह चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन जिसमें हम विदेशी पर्यटकों को भी बुला सकते हैं, इस पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। माननीय नेता सदन जब उत्तर भाषण दें तो उसमें इसका उल्लेख भी करें। धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

नेता प्रतिपक्ष ने अपने सम्बोधन में बेशर्म शब्द का इस्तेमाल किया उसको कार्यवाही से निकाल लिया जाय।

*श्री फूल सिंह विष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूँ, मैं इसके पक्ष में बोलना चाहता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने मंत्रिपरिषद् को बधाई देना चाहता हूँ, प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का लोकप्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, मुझे कल से तमाम लोग बधाई दे रहे हैं। सही अर्थों में जो उत्तराखण्ड का प्रारूप तैयार किया है, मेरी आशा है उसी परिकल्पना को हमारी सरकार स्वीकार करेगी। विगत वर्ष जब इस राज्य का गठन हुआ था, लोगों की आशाएं थी, परन्तु वह पूरी नहीं हो सकी। तमाम समस्याएं विरासत के रूप में पिछली सरकार की और उत्तरांचल के लोगों की जो धारणा है वह पूरी नहीं हो सकी। इससे लोग महरूम रहे। मुझे आशा है मा0 मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिपरिषद् से वे परिकल्पनाएं पूरी होंगी। श्री मातबर सिंह कण्डारी जी, श्री बलवीर सिंह नेगी जी और हम उत्तराखण्ड राज्य की बात करते थे।

श्री अध्यक्ष–

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा स्थगित की जाती है और यह चर्चा कल पुनः जारी होगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से श्री मातबर सिंह कण्डारी की सूचना, जो उत्तरांचल के विकलांगों, विधवाओं तथा वृद्धों को पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ तथा दूसरी सूचना जो श्री प्रकाश पन्त की है, को अस्वीकृत करता हूँ।

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 20 मार्च, 2002 के पूर्वान्ह 11 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन 5 बजे बुधवार 20 मार्च, 2002 अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून
दिनांक : 19 मार्च, 2002

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी (क)

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पीछे पृष्ठ 28 पर)

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री गोविन्द लाल श्री मदन कौशिक, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री मालचन्द, श्री सुरेश चन्द्र, श्री प्रकाश पन्त, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बडथ्वाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री अरविन्द पाण्डे,	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जायः– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया :– 1. राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी विशेष प्रभावी उपाय की घोषणा किये जाने, 2. आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने, 3. राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, विभिन्न निगमों के कर्मचारियों तथा राज्य में सेवारत सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों का पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार केंन्द्र के समान वेतन दिये जाने और एल0टी0सी0 नगदीकरण इत्यादि सुविधायें प्रदान किये जाने; 4. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन करने तथा प्रभावी नीति बनाने, 5. उद्योग, पर्यटन, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में घोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन करने, 6. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दुरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक करने, 7. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माननीय विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण, 20 कि0मी0 डामरीकरण, 5 झूलापुल, 5 नवीन इण्टरमीडिएट, 5 नवीन हाई स्कूल, 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने, 8. राज्य मे चिकित्सा व्यवस्था सुधार हेतु पृथक चिकित्सा नीति बनाये जाने, 9. स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	10. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डिप्लोमा इन्जिनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित तथा उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजन हेतु प्रभावी कदम उठाने,
	11. प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,
	12. प्रदेश की सभी बन्दी पड़ी फैक्ट्री तथा जनपद पिथौरागढ़ की चंढाक मैग्नासाइट व तड़ी गांव (पिथौरागढ़) मैग्नासाइट फैक्ट्री काशीपुर की सूत कताई मिल सरस्वती ऊलन मिल रानीखेत (अल्मोड़ा) इत्यादि को पुनः संचालित किये जाने हेतु प्रभावी योजना बनाये जाने,
	13. साधन समिति सचिव, संग्रह, अमीनों तथा वर्षों से विभिन्न यथा–लो0नि0वि0 राज्य सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय, वन विभाग तथा निगमों में कार्यरत दैनिक व संविदा आधारित कर्मचारियों को नियमित करने तथा उन्हें राज्य कर्मचारियों घोषित करने,
	14. नवसृजित 13 महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता तथा अन्य शिक्षणोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने,
	15. प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता, अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरे जाने,
	16. सभी न्याय पंचायत केन्द्रों में मिनी खेल स्टेडियम तथा जिला मुख्यालयों में आधुनिक रूप से सुसज्जित खेल स्टेडियमों की स्थापना कराने,
	17. प्रदेश में स्थापित हवाई पट्टियों को सुदृढ़ करने तथा वायुसेवा प्रारम्भ करने,
	18. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,
	19. महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष कार्य योजना,
	20. वार्षिक योजना 1500 करोड़ करने के संबंध में।
	21. व्यय कम करने हेतु मंत्रिमण्डल के आकार को घटाने,
	22. विकल्पधारी कर्मचारियों को नियत अवधि में कार्य मुक्त करने,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23. प्रत्येक विकास खण्ड में उच्चतर मा0वि0 एवं कन्या इण्टर कालेज बनाने,
		24. हरिद्वार कोटद्वार रामनगर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,
		25. टिहरी बांध विस्थापितों के लिए पिछली सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त भूमि को तुरन्त विकसित कर विस्थापितों का पुनर्वास के संबंध में।
		26. उत्तर प्रदेश सरकार से गंगा मैनेजमेन्ट केन्द्र की जगह उभय पक्षी बोर्ड बनाने,
		27. ड्रिलिंग द्वारा प्रत्येक जनपद में 500 हैण्डपम्प लगाने,
		28. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र व विजिटिंग फैकल्टी के अध्यापकों को नियमित करने,
		29. ऊधमसिंह नगर व हरिद्वार में नये अनाज भण्डार गृह खोलने के संबंध में,
		30. चीनी मिलों को आत्म निर्भर बनाने के लिए को–जनरेशन योजना शुरू करने,
		31. पर्यटन विकास के लिए कोटद्वार, पौड़ी, दूधातोली–पिंडर तथा रानीखेत, नैनीताल, मानीला, कौसानी, ग्वालदम, चौकड़ी–पाताल भुवनेश्वर, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पूर्णागिरी परिपथ विकसित करने,
		32. गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन देने,
		33. होम–गार्ड के वेतन में प्रतिदिन 50/–रु0 की वृद्धि करने के संबंध में।
		34. प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु मुझे खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है" :–
2.	श्री काशी सिंह ऐरी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार	1. स्थायी राजधानी का चयन एवं उसका निर्माण। 2. उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कर्मचारी एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उत्तर प्रदेश भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित–प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने।

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	3. प्रदेश की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक संरचना अक्षुण रखने एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के अनुच्छेद–371 के अन्तर्गत विशेष प्राविधान किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार की संस्तुति।
	4. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान रामपुर तिराहा (मु0नगर) कांड के दोषी अधिकारियों को दंडित किये जाने के संबंध में।
	5. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों के परिजनों को विशेष सहायता व सम्मान दिये जाने।
	6. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के सभी मुकदमों को वापस लिये जाने।
	7. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायलों/पीड़ितों व प्रमुख आन्दोलनकारियों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने।
	8. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीदों एवं राज्य आन्दोलन के सर्वमान्य नेता स्व0 इन्द्र मणि बडोनी की प्रतिमायें स्थापित करने।
	9. शहीद सैनिकों/अर्द्धसैनिकों के परिजनों को राज्य स्तर पर नौकरी एवं अन्य रोजगार/सुविधायें दिये जाने के संबंध में।
	10. सेना में भर्ती के लिए वर्तमान में छः सीमान्त तहसीलों में लागू कक्षा 8 पास की अर्हता सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में अथवा कम से कम सीमान्त मे तीनों जनपदों में लागू किये जाने।
	11. प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं विद्यालय में कार्यरत शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र विजिटिंग फैकल्टी, अंशकालिक, दैनिक एवं नियमित वेतनमान अस्थायी शिक्षकों को तदर्थ/नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने।
	12. प्रदेश के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं तदर्थ रूपन से नियुक्त सभी कर्मचारियों को नियमित किये जाने।
	13. फलोत्पादक बीमा योजना।
	14. बिन्दुखत्ता, दमुवादूंगा, बग्घाचौवन, उत्तरकाशी जनपद के धरासू बैण्ड सहित सभी वन भूमि पर बसे गांवों को राजस्व गांव घोषित करने।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		15. प्रदेश के दूरस्थ स्थानों में प्राथमिक उपस्वास्थ्य केन्द्र (एस0ए0डी0) पर्याप्त संख्या में खोले जाने।
		16. जनपद पिथौरागढ़ की धारचूला एवं मुनस्यारी तहसीलों, टिहरी जनपद एवं उत्तरकाशी जनपद के रवाई एवं जौनपुर क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किये जाने।
3.	श्री मातबर सिंह कण्डारी	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया है :–
		1. बड़गस्यूँ पश्चिमी भरदार, रानीगढ़, धनपुर तथा तल्ला नागपुर के लिए रूद्रप्रयाग में अलग विकास खण्ड खोलना।
		2. जनपद रूद्रप्रयाग में इंजिनियरिंग कालेज खोलना।
		3. जनपद रूद्रप्रयाग में माल्टा का जूस निकालने का कारखाना लगाना।
		4. जखोली में पूर्ण तहसील बनाना।
		5. उत्तरांचल में मद्य निषेध लागू करना।
		6. उत्तरांचल में फल पट्टी योजना को बनाना।
		7. भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को विकास कार्यों के लिए लचीला बनाना।
		8. चिरबटिया में राजकीय आलू फार्म खोलना।
		9. उत्तरांचल के आर्थिक विकास हेतु व्यवसायिक खेती, बेमौसम सब्जी उत्पादन फल पट्टी योजना, मतस्य पालन योजनाओं पर बल देना।
		10. बेरोजगारी को दूर करने हेतु रोजगारपरक योजनाओं को चलाना।
		11. महिला कल्याण कार्यक्रम पर बल देना।
		12. उत्तरांचल में बन्द पड़ी योजनाओं पर पुनर्निर्माण शुरू करना।
		13. बेसिक पाठशाला से लेकर महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती करना।
		14. लिफ्ट सिंचाई योजना धारकोट तल्ला नागपुर का निर्माण कार्य पूर्ण कराना।
		15. लिफ्ट पेयजल योजना जवाडी कांडा क्वीलाखाल भरदार, भैंसगाँव, तल्लानागपुर नगलासूँ (रानीगढ़) का निर्माण कराना।

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	16. सतनी (सौराखाल) भरदार, बुडोली, (सिलगढ़) आरस्यूँ बछरगस्यूँ ढौडिक तल्ला नागपुर में जनता को पेयजल की सुविधा देना।
	17. खाकरा कान्डई खेड़ाखाल मोटर मार्ग नगरासू जसोली डांडा मोटर मार्ग, मयाली रणधार मोटर मार्ग, तिलवाड़ा सौराखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण कराना।
	18. लस्यूँ नदी में मठियाणा (सिलगढ़) अलकनन्दा नदी में पपजसूँ मन्दाकनी नदी में अगस्त्य मुनि तथा धूयेली नामक स्थानों में झूलापुल निर्माण करने।
	19. तुनेटा भरदार में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाना।
	20. तिलवाड़ा जल विद्युत परियोजना विकास खण्ड जखोली, रूद्रप्रयाग जो वर्षों से बन्द पड़ी है उसे चालू करने।
	21. जनपद रूद्रप्रयाग में अधिशासी अधिकारी विद्युत वितरण खण्ड का पद स्वीकृत है की नियुक्ति कराने।
	22. जनपद रूद्रप्रयाग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, उप वन संरक्षक जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन कराने।
	23. विकास खण्ड जखोली, रूद्रप्रयाग के भवन निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराने।
	24. पट्टी बछरगस्यूँ जसोली कोदिमा (लदोली) रानीगढ़ पूर्वी बांगढ़, खलियान बांगड़ बड़मा सिलगढ़ लस्या (रूद्रप्रयाग) में चाय की खेती शुरू करने।
	25. त्यूखर चिरबटिया (लस्या खलियान बांगर पूर्वी बांगर बछरगस्यूँ (सिलपाखा) धनपुर (पावौं भुनका) कोदिमा जसोली सिलिगढ़ में जड़ी बूटियों की नर्सरी तथा जड़ी बूटियों का कृषि करण करने।
	26. तुनेटा भरदार तथा घंगासू बांगर रूद्रप्रयाग में मछलीपालन केन्द्र खोलना तथा हैचरी का निर्माण करने।
	27. गहड़खाल (बछरगस्यूँ) खेड़ीखाल (धनपुर) हेड़तीखाल तल्ला नागपुर तुनेटा (भरदार) जसोली रानीगढ़ में ऐलोपैथिक अस्पताल खोलने।

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम		संशोधन का रूप
	28.	अमकोटी–त्यूखर लस्या किमारगा फुटगढ़ कुड़ी अपूली (फुटगढ) चौरिया भरदा, डौखल (रौंठिया) में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने।
	29.	रा0उ0मा0वि0 पांजगा (सिलगढ) रूद्रप्रयाग रा0उ0मा0वि0 त्यूखर लस्या रा0उ0मा0वि0, चौरिया भरदार रा0उ0मा0वि0 जयंती कौठियाड़ा लस्या रा0उ0मा0वि0 बरसूड़ी बछणस्यूँ रा0उ0मा0वि0 ठैंडं, बछणस्यूँ रा0उ0मा0वि0 पीड़ा धनपुर रूद्रप्रयाग का उच्चीकरण करने।
	30.	जू0हा0 लौगा लस्या, जू0हा0 कोटी लस्या, हू0हा0 बरसिर लस्या, जू0हा0 पौड़ीखाल बछणस्यूँ, जू0हा0 हडेटीखाल तल्ला नागपुर, जू0हा0 बीना (रानीगढ़) जू0हा0 तूना धनपुर जू0हा0 कमेड़ा तल्ला नागपुर का उच्चीकरण करने।
	31.	तिलवाड़ा रूद्रप्रयाग में महिला चिकित्सालय खोलने।
	32.	नगरासू, रतूड़ा तिलणी (सुमेरपुर) में राजकीय कृषि फार्म खोलने।
	33.	भटवाडी सैण तल्ला नागपुर में स्वीकृत उद्योग केन्द्र को विकसित करने।
	34.	द्योलतीर (रानीगढ़) सिद्धसौड़ (बड़मा), चौरिया भरदार, किमाना फुटगढ़ में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा खोलने।
	35.	सुदूर पिछड़े क्षेत्र रतुडा खेडीखाल भुनका रूद्रप्रयाग चिनग्वाड़ पावौं सेरा वाँसी, जवाड़ी भरदार मोटर मार्गों का निर्माण करना।
		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–
4. श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री प्रकाश पंत,	1.	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है" :–
	2.	पिथौरागढ़ में बेरीनाग पुरानाथल तथा डीडीहाट आदिचौरा तथा नाचनी बांसवाड़ा मोटर मार्ग डामरीकरण के सम्बन्ध में। पिथौरागढ़ में भुजगढ़ नदी में सिरमानी के पास तथा नासिक नदी में झूला पुल के सम्बन्ध में।

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	3. पिथौरागढ़ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानाथल तथा जूनियार हाईस्कूल होकरा के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
	4. पिथौरागढ़ थल में महाविद्यालय खोलने,
	5. पिथौरागढ़ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भट्टी गांव तथा राजकीय कन्या इण्टर कालेज डीडीहाट के भवन के संबंध में।
	6. पिथौरागढ़ में पर्यटक स्थल सिराकोट के सौन्दर्यकरण के संबंध में।
	7. पिथौरागढ़ में उडियारी तथा चौसला–लेक, पेयजल के संबंध में।
	8. सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में सामुदायिक पॉलीटैक्निक के संबंध में।
	9. पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी के विस्तार के संबंध में।
	10. पिथौरागढ़ में पुराना थलतडी गांव मोटर मार्ग में राम गंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में।
	11. पिथौरागढ़ डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के संबंध में
	12. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण के संबंध में।
	13. जनपद पिथौरागढ़ में निम्न मोटर मार्गों के निर्माण के संबंध में– –रई–मढ़–रोडीपाली मोटर मार्ग –सुवालेख–चण्डिकाघाट–रेसपसटा मोटरमार्ग –छेड़ा कुम्याचौड़–सुवालेख मोटरमार्ग –चण्डाक–व्यूपानी–डूंगरा मोटर मार्ग निर्माण –मोस्टमानू–छाना–भुरमुनी मोटर मार्ग –नैनी–सैनी–कुम्डार मोटरमार्ग –दितोली–नैनी–दूयूडी मोटरमार्ग –बडंडा–लेलू मोटर मार्ग –चुपकोट बैंड–जमराडी–निसनी मोटर मार्ग –हरकान्डे–सल्ला मोटर मार्ग –जाख रावल गांव–मेलढगरी मोटरमार्ग –अशोक नगर–भाटीगांव मोटर मार्ग –बड़ाबै–धारी–बेलतड़ी मोटर मार्ग –विषाण–मासौ मोटर मार्ग –चण्डाक–पौण्ड–पपदेव–सुकोली मोटर मार्ग –सुकोली–टकारा–टकारी–ऐंचोली मोटर मार्ग

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		–ननी सैनी–कनारी–पाभैं–देवत मोटर मार्ग –उर्ग–घुन्सेरा गांव–मढ़ मोटर मार्ग –मढ़ तडीगांव पुनरीडी मोटर मार्ग। 14. जनपद पिथौरागढ़ में निम्न मोटर मार्गों के डामरीकरण के संबंध में। –चन्डाक–ब्राँस मोटर मार्ग। –वांस–आँवला घाट मोटर मार्ग। –मोस्टमानू–छेड़ा–दिगतोली मोटर मार्ग। –वड्डा –अडकिनी–क्वीतड़ मोटर मार्ग। –कुसेटी–सिलोनी मोटर मार्ग। 15. जनपद पिथौरागढ़ में रा0उ0मा0वि0 रोडीपाली के उच्चीकरण के संबंध में। 16. जनपद पिथौरागढ़ में नैनी–सैनी, चमाली, खतीगांव, निसनी में नये हाईस्कूल खोले जाने के संबंध में। 17. पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में विर्थी–फाल (मुनस्यारी) या अन्य किसी गुरुत्वीय पेयजल स्रोत से पेयजल योजना निर्माण के संबंध में। 18. जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय डीडीहाट (पिथौरागढ़) एवं छावनी परिषद में रानीखेत (अल्मोड़ा) में सीवर लाइन निर्माण के संबंध में। 19. पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में रई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण के संबंध में।
5.	श्री हरभजन सिंह चीमा	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया"– 1. उत्तरांचल में निकट भविष्य में होने वाले ग्राम सभाओं व निकायों का पुनर्गठन कराये जाने। 2. पिछले 30–35 वर्षों से अधिक समय से किसानों की जोत में चली आ रही वर्ग–4 की भूमिका नियमितीकरण किये जाने, 3. विधान सभा क्षेत्र जसपुर व काशीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये जलाशयों (डामों) से उठाये गए किसानों को बदले में दी गई अराजी के संबंधित किसानों के नाम बनाये गए पट्टों को तहसील रिकार्ड में अंकित कराये जाने के, 4. पिछले 40 वर्षों से मैदानी क्षेत्रों के गांवों में चल रहे प्राइमरी स्कूलों का उच्चीकरण कर कम से कम जू0हा0 स्कूल का दर्जा दिये जाने, 5. विधान सभा क्षेत्र जसपुर काशीपुर की सरकारी क्षेत्र की लम्बे समय से बन्द पड़ी सूत मिलों को चलाये जाने के संबंध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
6.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया"– 1. पिथौरागढ़ में पुराना थल–तड़ीगांव मोटर मार्ग में रामगंगा नदी में मोटर पुल के संबंध में। 2. पिथौरागढ़, डीडीहाट में मिनी स्टेडियम के निर्माण, 3. पिथौरागढ़ में सगौड़ से बौगाड़ तक सड़क निर्माण, 4. पिथौरागढ़ में पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में मेंरई व थरकोट में कृत्रिम झील के निर्माण, 5. पिथौरागढ़ में पूर्व प्रस्तावित बहुउद्देशीय पार्क (अप्पूघर) के निर्माण किये जाने, 6. पिथौरागढ़ मुख्यालय में खेल विद्यालय की स्थापना किये जाने, 7. गंगोलीहाट (पिथौरागढ) में धार्मिक महत्व के पौराणिक मंदिरों व विभिन्न प्राकृतिक गुफाओं को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र घोषित किये जाने, 8. पिथौरागढ़ में जनसंख्या दबाव को देखते हुए प्रस्तावित रिंग रोड की स्थापना, 9. रानीखेत क्षेत्र में रानीखेत से चौबाटिया में रज्जूमार्ग, भालूडैम एवं धोबीगधेरे में कृत्रिम झील के निर्माण, 10. रानीखेत में पूर्व से लम्बित स्टेडियम निर्माण, 11. गगास चिनियानोला, कोशीशेंर, कोसी, बिल्लेख पंपिंग पेयजल योजना के निर्माण, 12. नागरिक चिकित्सालय को कम्बाइण्ड चिकित्सालय का दर्जा दिये जाने के तथा हृदय रोग, नाक कान एवं नेत्र विभाग खोले जाने, 13. छावनी परिषद, रानीखेत को नगर पालिका एवं रानीखेत को जिला तथा मजखाली, जालली, मछोड एवं मासी को विकास खण्ड घोषित करने, 14. उ0प्र0रा0 सड़क परिवहन निगम कार्यशाला को बाजार से हटाकर पूर्व स्वीकृत स्थान ताडीखेत में निर्माण करवाये जाने, 15. जनसंख्या के दबाव को देखते हुए रानीखेत में एक बालिका इण्टर कालेज खोलने, 16. सब्जी उत्पादक क्षेत्रों को देखते हुए चौबटिया, बमस्यूँ, भूजान, खैरना, पोखरी, काकड़ीघाट, बलियाली, लोधियाखान बिल्लेख एवं सौला सिल्लौर महादेव तथा ताड़ीखेत पीपली, काकड़ीघाट्, मज्यूरखान, शीतलोत, बेड़गांव, नैनीजाना जैसी,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		रानीखेत एरोड़ जैसी सड़कों के निर्माण के संबंध में।
7.	श्री मदन कौशिक	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय। किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :– 1. उत्तरांचल को शेष परिसम्पत्तियों में हिस्सेदारी तथा अधिकारों को दिलाने के लिए किसी नीति की घोषणा तथा समय–समय पर सीमा निश्चित करने, 2. उत्तरांचल में बेरोजगारी के समाधान के लिए स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने, 3. पर्यटन उद्योग के विकास के लिए स्पष्ट नीति तैयार कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने, 4. हरिद्वार के पास राजाजी नेशनल पार्क में रेल द्वारा व बिजली के करन्ट से लगातार मर रहे हाथियों की सुरक्षा, 5. भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध में स्पष्ट नीति, 6. पूर्व माध्यमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने, 7. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं किये जाने, 8. हरिद्वार नगर में शराबबन्दी प्रभावी रूप से लागू हो इसके संबंध में कार्य योजना बनाने, 9. हरिद्वार विधान सभा में कन्या डिग्री कालेज खोलने, 10. प्रदेश में हिन्दी विषय की डिग्री स्तर तक के लिए शिक्षा मुफ्त दिये जाने, 11. हरिद्वार में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, 12. हरिद्वार में 2004 में लगने वाले कुम्भ के बारे में स्थाई निर्माण की योजना, 13. हरिद्वार में गंगा को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने, 14. हरिद्वार में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना, 15. हरिद्वार में श्रमायुक्त कार्यालय की स्थापना, 16. हरिद्वार में हवाई पट्टी का विस्तार कर विमान सेवा प्रारम्भ किये जाने, 17. हरिद्वार में विशेष पौराणिक महत्व वाले क्षेत्र–सतीकुन्ज, सतीघाट, मायादेवी मंदिर दक्ष प्रजापति मंदिर, बिल्केश्वर मंदिर आदि को विकसित किये जाने,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18. हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर, चण्डी देवी मंदिर पैदल मार्ग पर टीन–शेड की व्यवस्था करने,
		19. कनखल शमशान घाट पर विद्युत शव गृह के निर्माण,
		20. हरिद्वार के जिला चिकित्सालय की खस्ता हालत सुधारने,
		21. बरसात के मौसम में हरिद्वार के समस्त बाजार एवं अधिकांश मौहल्लों में पानी की निकासी,
		22. हरिद्वार में अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन की स्थापना,
		23. हरिद्वार नगर में सिटी बस की व्यवस्था करने,
		24. हरिद्वार नगरी में धर्मशालाओं को गृहकर, जलकर से पूर्णतः मुक्त किये जाने,
		25. हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र को भिखारियों से पूर्णतः मुक्त करने,
		26. हरिद्वार में मेडिकल कालेज खोलने,
		27. हरिद्वार को एक औद्योगिक जिला घोषित किये जाने,
		28. राज्य में गौ रक्षा आयोग के गठनें।
8.	श्री अरविन्द पाण्डे	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया" :–
		1. बाजपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ग 4 की भूमि की समस्या समाधान,
		2. बाजपुर क्षेत्र में नदियों द्वारा किये जा रहे कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
		3. किसानों को फसल का सही मूल्य भुगतान के संबंध में।
		4. किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान के संबंध में।
		5. बाजपुर क्षेत्र में स्थित चीनी मिल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में।
		6. समस्त चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने के सबंबंध में

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7. समस्त चीनी मिलों के कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिये जाने के संबंध में।
		8. बाजपुर को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के संबंध में।
		9. केलाखेड़ा (ऊधमसिंह नगर) में स्थित इण्टर कालेज की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में।
9.	श्री महेन्द्र भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :–
		1. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में तहसील की स्थापना,
		2. जनपद चमोली के अनेकों विद्यालयों के उच्चीकरण,
		3. जनपद चमोली के पोखरी विकास खण्ड के उड़ामाड़ा सेमलासु मोटरमार्ग निर्माण,
		4. जनपद चमोली विकास खण्ड घाट के काण्डेय पगना पार्ग निर्माण,
		5. जनपद चमोली में प्रत्येक बारह वर्षों में होने वाली पौराणिक नन्दा देवी राजात को सरकारी अनुदान,
		6. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राज्य परिवहन निगम सेवा प्रारम्भ करने,
		7. जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट में राजकीय महाविद्यालय की स्वीकृति,
		8. उत्तरांचल में भविष्य में होने वाली हाईस्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा हेतु अलग परीक्षा बोर्ड के गठन,
		9. जनपद चमोली के धार्मिक एवं दार्शनिक स्थल रूप कुण्ड, वैराज कुण्ड कार्तिक स्वामी में यात्रा हेतु सुगम मार्ग निर्माण,
10.	श्री मालचन्द	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न को सम्मिलित नहीं किया" :–

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	1. सीमान्त जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मौरी के गंगाड क्षेत्र/पुरौला के सुनाली डेरीका के बाढ़ में खेतों का कटाव रोकने के लिए सुरक्षा दीवाल, पुल एवं सड़कों, नगदी फसलों का मुआवजा हेतु ठोस नीति बनाने,
	2. नगदी फसलों का काश्तकारों को उचित मूल्य दिलाने व नजदीकी मण्डी सुविधा के संबंध में।
	3. हिमाचल की तर्ज पर काश्तकारों को नगदी फसल के लिए शासन द्वारा उचित मूल्य देने हेतु समिति का गठन।
	4. पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या तथा शिष्यों के मानक में छूट देने हेतु स्कूलों का चयन,
	5. वन्य जीव गोविन्द पशु विहार हेतु क्षेत्र के समस्त विकास कार्यों में रूकावट हटाने के लिये कोई ठोस नीति बनाने,
	6. जूनियर हाईस्कूल/हाईस्कूल/कन्या जूनियर हाईस्कूलों के उच्चीकरण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में निर्धारित मानक की छूट,
11. श्री अनिल नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—
	"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :—
	1. वर्तमान में कार्यरत समस्त शिक्षा बन्धुओं को उनके कार्यरत पदों पर ही नियमित किये जाने,
	2. जनपद चमोली के गैरसैण में डिग्री कालेज में पद सृजन एवं भवन निर्माण,
	3. कर्णप्रयाग डिग्री कालेज हेतु भवनों की व्यवस्था एवं विज्ञान संकाय खोलने,
	4. गोचर में डाइट (राज्य शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान) भवन निर्माण,
	5. कर्णप्रयाग विधान सभा के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों के निर्माण,
	6. गढ़वाल विश्वविद्यालय में बी0एड0 प्रवेश परीक्षा शुल्क को कम करने,
	7. गौचर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना,
	8. प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0 प्रशिक्षितों की वर्षवार नियुक्ति,

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9. राजकीय इण्टरकालेज महलचौरी, रोहिडा, उज्जवलपुर, सिदोली के भवन निर्माण, 10. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित श्री नन्दा देवी राजजात का आयोजन, 11. कालेश्वर (चमोली) को ट्रान्सपोर्ट नगर घोषित करने, 12. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण एवं नये स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना, 13. चमोली जनपद में चाँदपुर गढ़ी नाम से नये विकास खण्ड निर्माण,
12.	श्री गोविन्द लाल	प्रस्ताव के अन्त मे निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है"– 1. नारायणबगड़ में हास्पिटल का उच्चीकरण, 2. चमोली में विद्यालयों का उच्चीकरण, 3. पिण्डर विधान सभा में सड़कों एवं पुलों का नव निर्माण, 4. देवाल में हास्पिटल के उच्चीकरण,
13.	श्रीमती आशा नौटियाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय नें अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 98 एवं 2000 में आये विनाशकारी भूकम्प एवं भूस्खलन से पीड़ित लोगों के पुर्नवास एवं गृह अनुदान, 2. जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ के तहसील ऊठीमठ विद्यापीठ में महाविद्यालय खोलने, 3. महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिये कोई ठोस नीति बनाने एवं कृषि नीति में परिवर्तन कर व्यवसायिक खेती करने, 4. जनपद रूद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्तमुनि में तल्ला नागपुर पेयजल योजना के सम्बन्ध में। 5. जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में अपार तीर्थाटन केदारनाथ, तुगनाथ, मध्यमहेश्वर एवं कार्तिक स्वामी अगस्तमुनि पर्यटन क्षेत्र, देवरियाताल, चोपता, दुगलमिट्टा, खाम मनेरी क्षेत्रों के विकास के संबंध में।

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6. नवगठित जनपद रूद्रप्रयाग का एकीकरण करने, 7. जनपद रूद्रप्रयाग क्षेत्र केदारनाथ में बालिकाओं के लिये व्यवसायिक शिक्षण संस्थान एवं बालिका हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज खोलने,
14.	श्रीमती विजय बड़थ्वाल	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये ठोस योजनायें बनाने के लिये महिला उत्थान एवं कल्याण निगम के गठन, 2. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र को मुख्य दो सड़कों के लक्ष्मणझूला से विथाणी एवं चैलेसैण से घट्टूगाढ़ तक डामरीकरण, 3. उत्तरांचल की आबकारी नीति में महिलाओं की सहमति एवं विचार लेने, 4. जनपद पौड़ी में रा0इ0का0 एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को भरने, 5. जनपद पौड़ी में कृषि योग्य भूकम्प के लिये सिंचाई के साधनों के विस्तारीकरण, 6. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के महाबगढ़, भैरवगढ़ी, नीलकंठ यमकेशवर को तीर्थाटन, पर्यटन के लिये विकसित करने, 7. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में बालिका व्यवसायिक शिक्षा विद्यालय एवं बालिका हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज खोलने, 8. नये राज्य उत्तरांचल में नई शिक्षा नीति निर्धारित करने, 9. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कण्व आश्रम पोखरी पौखाल मोटर मार्ग निर्माण, 10. यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास क्षेत्र द्वारीखाल के सिलोगी, कठुडबड़ा पम्पिंग योजना से पेयजल उपलब्ध कराने,
15.	श्री चन्द्रशेखर	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया" :–

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
	1. बिहारी गढ़ से सड़कों एवं पुलिया रोशनाबाद तक पहुँचाने, 2. डान्डा रांघडवाला में प्राईमरी स्कूल को बनवाने, 3. डान्डा जलालपुर में बिजली घर बनाने, 4. भूमि संरक्षण द्वारा भूमि को एकसार कराने, 5. ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कक्षा 8वीं तक के स्कूल भी नहीं है वहाँ पर स्कूल बनवाने, 6. हरिपुर ग्राम व उसके आस–पास के गाँवों में बिजली की व्यवस्था करने, 7. पंजाब एवं हरियाणा की तरह ही भट्टा उद्योग पर उत्तरांचल में भी सेल्स कम किये जाने, 8. स्कूलों की समस्यायें (1) 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 10वीं तक किये जाने। (2) 10वीं कक्षा तक के स्कूलों को कक्षा 12वीं तक किये जाने। (3) भगवानपुर विधान सभा में असिंचित भूमि पर निःशुल्क बोरिंग एवं पेयजल हेतु नल कूपों की व्यवस्था किये जानें 9. भगवानपुर क्षेत्र में बाढ़ एवं सूखे के निराकरण हेतु पुलो, सड़कों एवं जलापूर्ति जैसी जटिल समस्याओं के समाधान,
16. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :– 1. उत्तरांचल राज्य निर्माण के दौरान घायलों के सम्बन्ध में। 2. डोईवाला में महाविद्यालय भवन निर्माण एवं शिक्षकों की व्यवस्था के संबन्ध में। 3. मोथरोवाला–दूधली–डोईवाला मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही बाधाओं के संबन्ध में। 4. डोईवाला विधान सभा के अन्तर्गत रायपुर नथुवावाला–नकरौंदा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के संबन्ध में। 5. नकरौंदा–लच्छीवाला–डोईवाला, मोटर मार्ग के संबन्ध में।

क्र0सं0 प्रस्तावक का नाम		संशोधन का रूप
	6.	डोईवाला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजाजी नेशनल से लगे कृषकों की कृषि की जंगली जानवरों से सुरक्षा के संबन्ध में।
	7.	शिक्षक अभिभावक संगठनों (पी0टी0ए0) के अन्तर्गत नियुक्ति के सम्बन्ध में।
	8.	मार्खम–ग्रान्ट न्याय पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में।
17. श्री सुरेश चन्द		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :– "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है" :–
	1.	हरिद्वार से रुड़की होते हुए मु0 नयर तक सीधी रेलवे लाईन की व्यवस्था के संबन्ध में।
	2.	रुड़की विधान सभा क्षेत्र जो उत्तरांचल का प्रवेश द्वार के चहुँमुखी विकास के सम्बन्ध में।
	3.	कुंभ नगरी हरिद्वार को चारों ओर से विभिन्न प्रदेशों एवं नगरों से जोड़ने वाले मार्गों को अविलम्ब चार लेन करने के संबन्ध में।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 विधान सभा/240–20–9–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।